[Shri M. M. Jacob]

(a) The Indian Post Office (Amendment) Bill, 1986.

(b) The Coal Mines Nationalisation Laws (Amendment) Bill, 1986, together with the Resolution seeking disapproval of the Coal Mines Nationalisation Laws (Amendment) Ordinance, 1986.

(c) The Delhi Apartment Ownership Bill, 1986.

(d) The Bureau of Indian Standards Bill, 1986.

(e) The Atomic Energy (Amendments Bill, 1986.

(f) The Customs and Excise Revenues Appellate Tribunal Bill, 1986.

(g) The Customs Tariff (Amendment) Bill, 1986.

(h) The Central Excise Tariff (Amendment) Bill, 1986.

(2) Consideration and passing of the Parsi Marriage and Divorce (Amendment) Bill, 1986.

---

## RESOLUTION RE. CONTINUOUS MIGRATION OF POPULATION FROM VILLAGES TO THE METROPOLITAN CITIES AND REMEDIAL MEASURES THEREFOR—(contd.)

THE DEPUTY CHAIRMAN: We now take up Private Members' Business. Further discussion on Resolution No. 1. Shri Ram Awadesh Singh.

**श्री राम अवधेश सिंह** (बिहार) : उपसभापति महोदया, आज मैं सब से पहले माननीय सदस्य श्री कौशिक जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसे विषय पर सदन और सरकार का ध्यान खींचा है उस पर बहस कराई है लेकिन साथ ही साथ मैं सरकार की उदासीनता की ओर भी ध्यान खींचना चाहता हूं। सरकार इतने महत्वपूर्ण विषय पर इतनी उदासीन है जिस का अन्दाज इसी से लगाया जा सकता है कि सरकारी बेंच पर केवल दो मन्त्री विराजमान हैं । महोदया इतना महत्वपूर्ण और गहन विषय है जिस पर बहुत गहराई से और बहुत संगीन हो कर विचार करने की जरुरत है । लेकिन लगता है कि सरकार इसको हल्के ढंग से ले रही है । (व्यवधान) यह जवाबदेही तो सरकार की है । हम लोग एक आदमी भी बोलें तो आप ध्यान से सुनें । यह बात आप नहीं कह सकते हैं कि हम एक हैं । हम अकेले भी हैं तो आप सब के बराबर हैं । महोदया, गांव का जो आज स्थिति है ऐसी हो गई है कि इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते क्योंकि गांवों से पलायन जारी है गांवों से पलायन एक वर्ग का जारी नहीं है, मजदूरों का जारी है, जो खेतिहर हैं उनका जारी है और बड़े किसानों का भी जारी है । इसके कई कारण हैं । एक कारण तो यह है कि जो आदमी मजदूर हैं उनको गांव में रोजगार नहीं रह गया है, उनकी गांव में इज्जत भी नहीं है । तो रोजी, रोटी और इज्जत की तलाश में शहर में भागते हैं । शहर में भी इज्जत नहीं मिलती है लेकिन उनको गांव के मुकाबले में शहर में रह कर थोड़ी सी उठ-बैठ, ठाठ-बाट, थोड़ी सी फुर्सत है लेकिन अभी तक शहर में भी उनका पेट अभी खाली है, यहां भी पेट खाली है । गांव में रोजगार के अवसर नहीं हैं । उसका मुख्य कारण यह है कि हमारी जो औद्योगिक नीति है वह इतनी खोखली है, हल्की हो गई है और इतनी बेजान हो गई है जिसका अन्दाज़ नहीं लगाया जा सकता है । 1956 में जो इंडस्ट्रीयल पालिसी बनी थी उस में इस बात का प्रावधान था कि लघु उद्योगों को प्राथमिकता दी जायेगी और गांवों में लघु उद्योगों को खोल कर खेती को सहारा दिया जाएगा । खेती अपने बूते पर बढ़ती हुई आबादी का

पोषण नहीं कर सकती है न रोजगार दे सकती है खेती में उतनी क्षमता नहीं रह गई है इसलिए गांव में लोगों को रोकने के लिए यह लघु उद्योगों का जाल बिछाये बिना आप गांव की तरक्की नहीं कर सकते हैं क्योंकि गांव की क्रय शक्ति खत्म हो गई है । जो भी क्रय शक्ति उस के पास है वह क्रय शक्ति टाटा, बिड़ला, सिंघानिया, झनझनिया, टनटनिया जितने बड़े-बड़े उद्योगपति हैं उनके द्वारा बनाई गई कंज्यूमर गुड्स गांव में जाती हैं जब कि छोटे-छोटे उद्योगों में साबुन, लुंगी, कपड़ा, धोती, छोटे-छोटे बर्तन, कृषि के औजार बनने चाहिये थे यह भी आज टाटा के बड़े-बड़े कारखानों में कुदाल, खुप खुरपी, भाल, सूई, साबुन यह सारी उपभोक्ता वस्तुएं हैं जिसके विषय में इंडस्ट्रीयल पालिसी में साफ उल्लेख है कि इनका उत्पादन गांव में होगा । जब तक उनका उत्पादन गांव में नहीं होगा तब तक गांव का पैसा गांव में छेंककर रोककर नहीं रखा जा सकता है । अहमदाबाद, कलकत्ता, कानपुर, बम्बई, शोलापुर जैसे बड़े शहरों के बड़े पूंजीपतियों के शोषण का कड़ाह गांव गांव तक घर घर तक पहुंच गया है । इस शोषण के कड़ाह को स्रोत को जब तक काटा नहीं जायेगा गांव के पैसे को गांव में छेंक कर रखा नहीं जायेगा तब तक किसी भी हालत में गांव की तरक्की नहीं हो सकती है चाहे यहां से बैठकर जितनी बड़ी-बड़ी योजनाएं बना लें । मुझे खुशी है कि उद्योग विभाग के राज्य मंत्री जी यहां मौजूद हैं । ये प्रगतिशील आदमी हैं प्रोफेसर हैं इनको इन सब बातों की जानकारी है । लेकिन भारत सरकार इतनी निकम्मी इतनी दृष्टिहीन है और ... (**व्यवधान**) मंत्री तो हैं ही बेचारे क्या करेंगे ये तो लाचार जीव हैं ।

**श्री सत्यपाल मलिक** (उत्तर प्रदेश): लाचार जीव नहीं हैं ।

**श्री रामअवधेश सिंह** : लाचार हैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत सरकार के पूल में एक छोटी सी कड़ी है । मुझे इनके प्रति सहानभूति है और मैं समझता हूं कि इनके हाथ में पूरा कुछ हो तो ये कुछ कर सकते हैं लेकिन इनके हाथ में तो पूरा है नहीं । ये कुछ इधर-उधर करना चाहें तो भी ज्यादा नहीं कर करते हैं ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी बहुत अहम सवाल यह है कि गांव से आबादी शहरों की ओर भाग रही है । पिछले 1971 से 1981 के बीच में गांव की आबादी बढ़ी है 19.56 फीसदी और शहरों की आबादी बढ़ी है 46.65 फीसदी । मतलब करीब करीब ढाई गुना शहरों की आबादी बढ़ गयी है । अगर आबादी बढ़ेगी तो यहां साफ से साफ शहरों में भी गंदगी फैलेगी, छोटी छोटी झोंपड़ियां बनेंगी, गंदी बस्तियां बनेंगी और आप इसको रोक नहीं सकते हैं जबतक कि गांव के लोगों को गांव में नहीं रोकेंगे और वे तब तक गांवों में नहीं रुक सकते जबतक कि तीन चीजें नहीं हो जाती हैं । एक तो यह कि उनकी क्रय शक्ति बढ़े और उन्हें रोजगार मुहैया किया जाये । ताकि वहां दैनिक उपयोग की जितनी चीजें हैं वे वहां पैदा हों । दूसरी बात कि सुरक्षा की गारन्टी गांव में अब नहीं रह गयी है । गांव में जो खाते पीते किसान हैं, 50–60 बीघे वाले लोग वे शहरों में जल्दी जल्दी भागना चाहते हैं । वे भागना चाहते हैं क्योंकि उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था वहां नहीं है उनके खुद की सुरक्षा की गारन्टी नहीं है, यातायात की सुविधा नहीं है, चिकित्सा की सुविधा नहीं है । इन सारी चीजों के चलते अपर मिडिल क्लास या छोटे खेतों वाले भाग रहें हैं, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, सुरक्षा के लिए रोजी रोजगार के लिए छोटे छोटे लोग भाग रहें हैं । महोदय, हमारा सरकार से आग्रह है कि इन चीजों पर नये ढंग से योजना आयोग को सोचना चाहिए और उद्योग मंत्रालय को भी इस पर सोचना चाहिए और सोच कर जिसको कहते हैं ग्रामीणोन्मुखी योजना बनानी चाहिए । मैं तो ऐसा चाहता हूं जैसे अभी अखबारों में मैंने सुना था कि एक जिले की योजना बनाने की बात चल रही है ।

[श्री सत्यपाल मलिक]

जिलें में वहां के विधायक, सांसद और जो चुने हुए प्रतिनिधि है .....

**एक माननीय सदस्य :** मध्य प्रदेश में हो गया है । जिला बोर्ड बन गये हैं ।

**श्री राम अवधेश सिंह :** यह अच्छी बात है । अगर नीचे से योजना बने तो हम कुछ काम कर सकते हैं । मैं कुछ आंकड़े आपको देना चाहता हूं कि हमारी स्थिति क्या है । शिक्षा के क्षेत्र में हम कहां हैं, गांव की स्थिति क्या है ? अभी यातायात के बारे में गांव की स्थिति यह है कि 5 लाख 92 हजार गांवों में 2 लाख 8 हजार गांवों में किसी तरह सड़कों का संबंध है और शिक्षा के बारे में तो यह स्थिति है कि 40 प्रतिशत विद्यालयों में छत नहीं है, 80 प्रतिशत में शौचालय नहीं है और 30 प्रतिशत विद्यालयों में शिक्षक औसतन नहीं जाते हैं पढ़ाने रोज । इसका नतीजा यह होता है कि अपने बच्चों को यहां प्रवेश दिलाते हैं, पढ़ने के लिए भेजते हैं, उनके बच्चे स्नातक तक जाते-जाते केवल 1 प्रतिशत, गांव से पढ़ाई शुरू करने वाले छात्रों में 1 प्रतिशत ही स्नातक कक्षा तक प हुंच पाते हैं ।

आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे गांवों की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में क्या है । आई० ए० एस०, आई० पी० एस० के बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते कि गांव के वातावरण से आए हुए लोग—मुश्किल से 3-4 प्रतिशत लोग टोटल, वह भी बड़े घर के, किसान के लड़के जो गांव छोड़कर शहर में पढ़ने लगते हैं, वह ही ऐसी परीक्षा पास करते हैं ।

जहां तक चिकित्सा का सवाल है, 64.5 प्रतिशत गांवों में पांच किलोमीटर पर भी एक जो प्राइमरी हैल्थ यूनिट होता है, वह भी नहीं है । यह 64.5 प्रतिशत गांवों में स्थिति है । पूरे विश्व में 268 पर औसतन एक शैय्या है, लेकिन हमारे यहां यह सात हजार व्यक्तियों पर भी औसतन एक शैय्या नहीं है । यह अस्पताल में जो शय्या होती है, बैड, चारपाई जिसको आप कह सकते हैं ।

भारत के गांवों में औसत आयु शहर से अभी भी दस साल कम है । यह सब से बहुत बड़ी चीज है आंख खोलने वाली कि हमारे गांव की स्थिति क्या है ।

अब मैं अंत में महोदया, आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इन चीजों को दूर करने के लिए दो-तीन काम तो जबरदस्त करने हैं । एक तो यह—लेनिन ने कहा था, जब उन्होंने अपने रूस का निर्माण करना शुरू किया था—नैप पीरियड जिसको कहते हैं इन न्यु इकनामिक इरा— उसने कहा था कि दो चीजें, दो पर की तरह हैं, इलेक्ट्रीफिकेशन और कोआपरेटिव्ज तो हमारे यहां दोनों की, बदकिस्मती से ऐसी हालत हो गई है कि कोई भी यूनिट जैसे बिजली की लगाते हैं, तो उसमें न जाने क्या कारण है कि नया प्लांट लगाते हैं एटामिक पावर का, उसका हम लोग पुराना डिजाइन कनाडियन ले आते हैं, कल यहां बहस हुई, क्वश्चन आया, तो उसका जवाब नहीं आया तो कनाडियन जो आऊटडेटेड हो जाता है उनके यहां, वह डिजाइन हमारे यहां दे देते हैं और हम उसको लेकर के कहते हैं कि हम एक नया प्लांट लगा रहे हैं । इसे ऊर्जा की जो कमी है, उसकी हम आपूर्ति कर लेंगे और इसी तरह से उनके जितने आऊटडेटेड डिजाइन्स हैं, माडल्स हैं, वह हमको देते रहते हैं ।

हमारे यहां बिहार में कम से कम 1150 मैगावाट कैपेसिटी बिजली उत्पादन करने वाले यूनिट है, पर 250–300 मैगावाट बिजली भी मुश्किल से बिहार में पैदा होती है । यही स्थिति सारे देश में की है । तो यहां न हाईडल प्रोजैक्ट अब ठीक से चल रहे हैं—बिहार का कारण तो मैं बता सकता हूं, और राज्यों के बारे में नहीं ।

वहां जिस मंत्रालय के जिम्मे यह बिजली उत्पादन वगरह का काम है, भर्ती हुई, पर एक जाति-समूह के लोगों को भर दिया गया, नीचे से ऊपर तक । नतीजा यह हुआ कि बिलकुल कोई काम ही नहीं करता, कोई एक्शन नहीं ले सकता है । ऊपर से नीचे तक बजली

विभाग भरा हुआ है एक जाति के लोगों से। माननीय मंत्री महोदय, श्री के.के. तिवारी जी सब जानते हैं, उनको सब पता है।

अब कोआपरेटिव्ज, संयोग से कोआपरेटिव्ज ऐसे लोगों के हाथ में चली गई है, खास करके बिहार में, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कोआपरेटिव के चलते जो सहयोग समितियां हैं, जिस आदमी को– अभी आपका प्रधान बन गया है, संसद सदस्य भी लोक सभा में आ गया है किसी तरह से 15 साल पहले उस आदमी के पास पांच बीघा जमीन नहीं थी, एक बैल की खेती नहीं थी, आज उस आदमी के पास दिल्ली में बड़े-बड़े आलीशान होटल हैं, पटना में एक बड़ा आलीशान होटल है, तीन बड़े मकान है, मद्रास में होटल है, क्या नहीं हैं? कोआपरेटिव का उसको हैड बना कर रखा है। राजीव गांधी जी की सरकार कहती है कि हम क्लीन सरकार हैं। ...(**व्यवधान**) जम्हूरियत में बोलने के लिए इतनी तो आजादी दीजिए। आप वही करेंगे, जो आप करते रहे हैं, जो पाप निगलते रहे हैं निगलिए। लेकिन हम लोगों को जो आजादी है बोलने की वह तो बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)

**एक माननीय सदस्य** : आप बोलिए, लेकिन राजीव जी का नाम मत लीजए।

**श्री सत्यपाल मलिक** : यहा लोकतंत्र वही है कि मूर्खतापूर्ण बातें भी सुनी जाएं। यहीं लोकतंत्र है।

**श्री राम अवधेश सिंह** : हां, सुनी जांएं, धीरज रखिए कम से कम। तो महोदया मैं कहना चाहता हूं कि उस आदमी ने सारे कोआपरेटिवज को खत्म कर दिया। कहीं-कहीं कोआपरेटिव कुछ ईमानदारी से काम में आई है जैसे कि गुजरात में। गुजरात का दूध पटना में जाता है, मनका कोआपरेटिव फार्म से जो दूध उत्पन्न होता है और आंध्र से बटर और घी बिहार में जाता है जबकि बिहार से पहले घी बंगाल और दूसरे राज्यों में जाता था और मक्खन जाता था। वह सब बंद हो गया। इस पर मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और खास करके प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी का ध्यान खींचना चाहता हूं कि आप तो अपनी छवि साफ रखना चाहते हैं और आपके अगल-बगल में कोआपरेटिवज के माध्यम से इतने भयानक लोग में उनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करूं कि जो जनता को लूटने वाले लोग हैं, उनकी क्यों नहीं जांच होती है? उस आदमी के बारे में सुना है कि सी.बी.आई की जांच हुई और उसकी रिपोर्ट यहां आई लेकिन तपेश्वर सांसद पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। पता नहीं वह फाईल कहां चली गई? उसमें दीमक लग गया या चाट गया या पता नहीं क्या हो गया? या ऊपर से फिर सी. बी. आई. को उस आदमी ने खरीद दिया? उस आदमी की सी.बी.आई. जांच करे। सी.बी.आई. को छोड़ दीजिए। मैं मांग करता हूं कि इस सदन की और दूसरे सदन की, राज्य सभा और लोक सभा के दोनों सदनों को मिला कर एक ससदीय समिति बनाई जाए जिसमें उस आदमी को भी शामिल किया जाए यह न हो जाए कि वह वंचित हो जाए इसलिए उसमें उस व्यक्ति को भी शामिल किया जाए, फिर उसकी जांच की जाए। जितना भी उसके पास माल है, जितनी भी उसके पास दौलत है यह 15 साल के अन्दर में कहां से आ गई और कैसे-कैसे आ गई इस बारे में जांच होनी चाहिए जब तक यह जांच नहीं होगी तक तक हमारी समझ में तो है ही लेकिन बिहार की जनता कम से कम राजीव गांधी की सरकार को क्लीन और साफ कभी नहीं कह सकती है जब तक कि वह उस आदमी को अपनी बगल में बैठाए रहेगी। बच्चे-बच्चे से, गली-गली में जाकर आप सी.बी.आई. से जांच करवा लीजिए अगर मेरी बात गलत होगी तो मैं उसके लिए कोई भी सजा और जुर्माना भुगतने के लिए तैयार हूं। महोदया, मैं अंत में इस बात पर आना चाहता हूं कि यह जो कोआपरेटिवज की व्यवस्था है उसको स्वच्छ बनाया जाए, और पूरे देश में बनाया जाए खाली बिहार में ही नहीं, क्योंकि जब तक इसकी व्यवस्था साफ नहीं होगी तब तक ये मिडलमैन जो हैं वे उसकी आमदनी को चरते जायेंगे।

**उपसभापति** : यह बड़े शहरों में जो बढ़ती हुई आबादी है उस पर यह रेजोल्यूशन है ।

**श्री राम अवधेश सिंह** : उस पर ही मैं कह रहा हूं । बड़े शहरों में बढ़ती हुई आबादी के बारे में ही मैंने अपनी बात कहीं है कि जब तक गांवों के बारे में सोचेंगे नहीं, गांवों की आबादी को गांवों में ही रोकेंगे नहीं तब तक देश का विकास हीं न हो सकता है । मैं तो आपके माध्यम से सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो आफिसर आप रिटायर्ड कर रहे हैं, पढ़े-लिख गांवों के अफसर जो रिटायर कर रहे हैं शहरों से वे देहातों में नहीं आना चाहते । अगर वे गांवों में आंए तो वे गांवों में थोड़ा नए ढंग से नई चेतना लेकर आ सकते हैं और कुछ बता सकते हैं गांवों में सिंचाई की सुविधा के लिए या स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए या शिक्षा की सुविधा के लिए क्योंकि उनकी आगे पहुंच होती है । जो रिटायर कर रहे हैं, आफीसर, वकाश प्राप्त करने वाले आफीसरों, जिनको अच्छी जानकारी होती है और गांव के साधारण किसानों की अपेक्षा उनकी दृष्टि कुछ व्यापक होती है कुछ चलते पुर्जे होते हैं, इसलिए वे यह काम कर सकते हैं । मेरा तो मानना है कि बिल्कुल कानून बनाकर आपको बैन कर देना चाहिए कि जो आफीसर अवकाश प्राप्त कर रहा है या कर्मचारी है, उसको शहर में नहीं बसने दिया जाए- उसको गांव में बसाया जाएगा । कम्पलसरी यह चीन में माओ-त्से-तुंग ने किया और कहा कि जो डाक्टर है, उसको शहर में नहीं रहने देंगे, उसमें से 80 प्रतिशत डाक्टर को गांव में जाना पड़ेगा और उसने मजबूर किया डाक्टरों को गांव में जाने के लिए और अच्छे लोगों को गांव में जाने के लिए, गांव के लोगों से बात करने के लिए, उनका दृष्टिकोण व्यापक बनाने के लिये । तो ये सारी बातें हमारे यहां नहीं है । हम तो आफीसरों को दे देते हैं पैसा घर बनाने के लिए और जब वह आफीसर सरविस में अवकाश प्राप्त करने वाला होता है तो सरकारी लोन लेता है । सरकार उनको लोन देती है कि भाई, अब यह दो लाख ले लो डेढ़ लाख ले लो, एक लाख ले लो, यह पचास हजार ले लो । अब वह पचास हजार तो मकान बनाने के लिए सरकार के बैंक से लेता है लोन-कर्जा और फिर बाकी घूस लेता है क्योंकि पचास हजार से तो मकान बनेगा नहीं घूस वह सरकारी आदमी लेना शुरू कर देता है और पचास हजार यह मिलाता है और इसमें डेढ़ लाख-दो लाख जो दूसरा मिला, वह मिलाता है । इसलिए जो आफीसरों को मकान बनाने के लिए रकम दी जाती है, उसको बन्द किया जाना चाहिए और उससे आप कहें कि आप गांव में जाओ, अवकाश प्राप्त करने वाला शहर में क्यों वहां रहेगा इसलिए बिल्कुल यह हम लोगों को इस बात पर अडिग होकर काम करना और जो लोग गांव नहीं जाना चाहते है, उनको जाना चाहिए, आपको लाठी के जोर पर भेजना चाहिए कि यहां नहीं रहने देंगे, क्यों यहां आबादी बढ़ा रहे हो, क्यों यहां झंझट पैदा कर रहे हो ?

महोदया, गांव में गरीब उद्योगों को भी बढ़ावा देना चाहिए । जितना पब्लिक सेक्टर में पैसा लगता है टोटल, उसका मैं समझता हूं कि 80 फीसदी गांव में पांच साल अगर उद्योग-धंधों में लगा दिया जाय तो गांव से पलायन करती हुई आबादी पर एक सफल रोक लग सकती है । (व्यवधान)...दस साल के लिए लगा दीजिए । यह रोकिए आप । बड़े सेक्टर में बनाइए । आप बड़े-बड़े कारखाने खोल रहे हैं । उससे तो एक औसतन केपिटल ओरियेण्टेड, कपिटल इन्सेंटिव जो आप कर रहे हैं, उनको बन्द करिए और लेबर इंसेंटिव जो कर रहे हैं, उनको लाइए । यही मेरा आपसे आग्रह है और मुझे उम्मीद है हमारे लायक दोस्त और माननीय मंत्री श्री के. के. तिवारी जी यहां है, वे इन बातों पर केटेगरीकली उत्तर देंगे कि उनके मन में क्या यह है कि जो पब्लिक सेक्टर में भारी पैसा लगाया जा रहा है, उसको कम करके गांव की ओर मोड़ा जाय और गांव की क्रयशक्ति को बढ़ाया जाय ताकि गांव का पैसा गांव में रोका जाए । धन्यवाद ।

**उपसभापति** : श्री मुख्तयार सिंह मलिक.. एबसेंट । श्री सत्यपाल मलिक ।

**श्री सत्यपाल मलिक :** माननीया, जिस मुद्दे पर चर्चा चल रही है पिछले हफ्ते से, यह बहुत महत्वपूर्ण है खासतौर पर से हमारे मुल्क के लिए। यों तो सारी दुनिया में, खासतौर से जो विकासशील देश हैं, उनमें शहरी आबादी बढ़ रही है। अब शहरी आबादी का बढ़ना, खुशी का भी मुद्दा हो सकता है और मातम का भी हो सकता है अगर हम यह जानें कि आबादी बढ़ क्यों रहीं है, शहरी, तो शहरी आबादी अफ्रीका में और एशिया के मुल्कों में अफसोस की बात यह है कि दो बड़े कारणों से बढ़ रही है—जहां पर खेती में रोजगार खतम हो गया है और खेती की सीमा रोजगार देने की खतम हो गयी है और गांव में शहरों से दूर जो केन्द्र है, उनमें आर्थिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियायें खतम हो गयी है इसलिए वहां से लोग भागकर शहरों की तरफ उतर रहे हैं। आप देखियेगा, अफ्रीका में जिस तेज गति से शहरी आबादी बढ़ हीं है, उसका कारण है–खेती का नाकयमयाब होना और हाथ के काम का खतम हो जाना।

माननीया, हमारे यहा अंग्रेजों के जमाने से ही यह प्रक्रिया चली और बहुत दूर तक आज भी कायम है कि जितने गांव में धंधे थे, खेती के अलावा दीगर पेशे थे, वह आहिस्ता आहिस्ता खतम हो रहे हैं और खेती के काम में जो लोग लगे हुए थे, उनके परिवार बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां काम के मौके बहुत तेजी से कम हो रहें हैं और काम की तलाश में वे लोग शहरों की तरफ भाग रहें है।

3.00 P.M.

और काम की तलाश में आदमी शहरों की तरफ भाग रहें है। यह अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुआ था और आज भी चल रहा है। यह सही है कि नियोजन के बाद बहुत बड़ी मात्रा में रुपया योजनाओं के जरिए गांवों की तरफ गया है। यह भी सही है कि पिछले पांच सात सालों में गरीबों के प्रति क्रांतिकारी रूझान रहा है लेकिन ज्यादातर रुपया नियर सस्टेनस पर खर्च हुआ है, गरीब आदमी के सस्टेनेंस पर खर्च हुआ है उसका इस्तेमाल प्रोडक्टिव यूज के लिए नहीं हुआ कि गांवों की आबादी को वहां रख सके। उसका नतीजा यह हुआ है कि शहरों की तरफ पलायन हो रहा है, शहर फैलते जा रहें हैं। शहर क्यों फैलते जा रहें हैं यह जानना महत्वपूर्ण चीज है। शहर में गरीब आदमी इसलिए आ रहा है क्योंकि उसके पास रोजगार के साधन नहीं है, दस्तकार इसलिए आ रहा है कि पुश्तैनी पेशे खत्म हो रहें हैं, बीच के दर्जे के किसान इसलिए आ रहें है कि वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं, बेहतर स्वास्थ्य देना चाहे हैं, उससे मालदार किसान इसलिए आ रहें है कि उनके बच्चे पढ़ लिख गए हैं, उनको बेहतर जिन्दगी चाहिए, सुरक्षा चाहिए। कुल मिला कर गांव का न सिर्फ यह नुकसान हो रहा है गांव से लोग भाग रहें हैं बल्कि बड़ा नुकसान यह हो रहा है ग्रामीण प्रतिभाओं का, गांव के चुने हुए प्रतिभाशाली आदमियों का उपयोग गांव को नहीं मिल रहा है। शिक्षा बढ़ रही है, गांव का लड़का डाक्टर बन रहा है, इंजीनियर हो रहा है, गांव का लड़का पार्लियामेंट में जा रहा है, एम० एल० ए० हो रहा है लेकिन वह शहर में ही रह जाता है और गांव पूरी तरह निष्प्राण, संस्कृति और जीवन के बिना, उमंगों से बिल्कुल रीते रेगिस्तान में जिस तरह से झाड़ियों होती हैं उस तरह से पूरे देश का ग्रामीण जीवन हो गया है। मैं शहरों के खिलाफ नहीं हूं। शहर रहेंगे। किसी भी मुल्क में शहर उस देश की सभ्यता के प्रतीक हैं। पटना दुनिया का सबसे बड़ा और समृद्धिशाली शहर था हमारे देश के बड़े बड़े शहर एक तरह से संस्कृति के प्रतीक रहें हैं। लेकिन आज जिस तरह से शहरों का विकास हो रहा है वह बिल्कुल अनहैल्दी तरीके से हो रहा है। मैं उसकी तरफ आना चाहता हूं।

एक तो शहरों का प्लानिंग नहीं हुआ है। पिछले तीन पाच सालों में कुछ हुआ है, लेकिन उसका जो नतीजा निकलना चाहिए वह नहीं निकल रहा है। मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूं कि जिस जगह हम लोग रहते हैं, जिस हिस्से में मंत्री लोग रहते हैं, अफसरान रहते हैं उस पांच दस

[श्री सत्यपाल मलिक]

बीस किलोमीटर के इलाके को छोड़, जो दुनिया के सबसे खूबसूरत इलाकों में से है, उससे दस किलोमीटर दूर दुनिया के सबसे बदशक्ल इसके आज भी मौजूद हैं, जहां नाले में पानी पीते हुए, नाले में कपड़े धोते हुए बच्चे मिल जाएंगे। इससे वही डिफैक्टिव प्लानिंग नहीं हो सकती। नई दिल्ली लिटिल साहब की बनाई हुई है, खूबसूरत कमल है, लेकिन उसके चार इंच बाद कीचड़ चारों ओर दिखाई दे, यह बहुत खराब प्लानिंग है। यहीं इसमें बदशक्ली है। कोई नियोजन नहीं है। गलत नियोजन का नतीजा यह हो रहा है कि शहर की जितनी सुविधाएं है, ट्रांसपोर्ट है, बिजली है, मकानात है, हैल्थ है, इसका बड़ा हिस्सा जो अपर क्रेस्ट है सोसाइटी का उसके साथ लग रहा है एम०पी० के साथ लग रहा है, सैक्रेटरी के हाथ लग रहा है, अफसर के हाथ लग रहा है, उद्योगपति के हाथ लग रहा है, हिन्दुस्तान के पूंजीपति को जितना सुख है—शाहजहां को भी दहशत रहती थी। सारे नाच गाने के बावजूद कि अगर हमला हो गया तो घोड़े पर बैठ कर मुकाबले के लिए जाना पड़ जायेगा। लेकिन इसको कुछ नहीं करना होता है। यह जो पूरी नस्ल है सारी सुविधाएं ले रही है। बाकी जो रुपया खर्च होता है उससे गांवो की बात तो छोड़ दीजिए, शहरों के गरीब आदमी को सुविधाएं नहीं मिल पातीं। इस तरह की फाल्टी प्लानिंग खास तौर से हमारे जैसे विकासशील मुल्क में ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। मुझे यह निवेदन करना है कि जो भी शहर की प्लानिंग हो, पहली बात यह है—मैं फिर दोहराता हूं—कि आर्थिक एक्टिविटीज को गांवों में ले जाइए, ऐसी इकानामिक एक्टविटी जो सिर्फ सस्टेनेंस न हो, जैसे कि गरीबी हटाओ कार्यक्रम से एक परिवार के खाने का काम चल जाय, ऐसे कार्यक्रम ले जायं जिससे प्रोडक्शन हो और प्रोडक्शन से दौलत जेनरेट हो और वह दूसरे-तीसरे काम में लगे जिससे लोग वहीं रह जायं या दूसरे और तीसरे नम्बर के कस्बे तक ही लोग रहें और मेट्रोपोलिटन की ओर न आंगे। लेकिन अगर आप इस आने को नहीं रोक पाते हैं तो मट्रोपोलिटन सिटीज की प्लानिंग बिलकुल गलत प्लानिंग है, जो आज चल रही है। इसको बुनियादी तौर पर बदलने की जरुरत है। आप को जान कर हैरत होगी कि कलकत्ता और बम्बई की बात छोड़ देता हूं, दिल्ली में जितने इनकम टैक्स पेयर रहते हैं उतने सारे मुल्क के रुरल ऐरियाज में नहीं रहते। सारे देश के अमीर आदनी यहां आ गये और उसके चलते एक खास संस्कृति दिल्ली शहर की विकसित हो रही हैं। दिल्ली कोई रोजगार का शहर नहीं है। पब्लिक सेक्टर के खिलाफ बहुत कुछ कहा जाता है। प्राइवेट सेक्टर में जितने कारखाने लगे हुए हैं, जितना रुपया लगा हुआ है, वह आज भी किसी डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 50 परसेंट भी नहीं पैदा करता है। पैदा करता है गांव का आदमी जो खेती में लगा हुआ है। बचत जितनी करते हैं वे लोग ही करते हैं जो खेती में लगे हुए हैं और उस की मौज यहां के लोग ले रहे हैं। तो यह जो दिल्ली में खास तौर से एक संस्कृति विकसित हो रही है उसका कारण यह है कि केन्द्रीय सचिवालय यहां है, हर बड़ा दफ्तर यहां है, सारी चीजें यहां हैं, उद्योग का कारखाना चाहे बर्दवान में हो, लेकिन उस का हेड आफिस दिल्ली में होगा क्यों कि सरो एक्टिविटीज कारखाना कही भी हों उस का आफिस दिल्ली में होगा क्योंकि यहां से होती हैं। नतीजा यह है कि सारे देश के दलाल तिकड़मी और 420सी लोग शहर में आ कर बस गये। यह गलत चीज है। आप प्रशासन के दफ्तर और दूसरी चीजों से ताल्लुक रखने वाले दफ्तर दिल्ली के पड़ोस में न रख कर दूर भगाइये। दिल्ली जो राजधानी है उस में जो मिनिमम नेसेसिटी हो प्रशासन चलाने के लिये, उतने का शहर रखिये। मैं एक बात कहता हूं। बहुत बुरी बात है, लेकिन अगर दिल्ली में कहीं कोई बड़ी लड़ाई मुल्क के साथ हो जाए और यहां कोई बड़ी गड़बड़ी हो जाय तो सारा देश पैरेलाइज हो सकता है। मुल्क ऐसे बड़ा नहीं

बनता । आप अपने प्रशासन की एक्टिविटी को, इंडस्ट्री की एक्टिविटी को, कामर्स की एक्टिविटी को बांट कर रखिये इससे यह चीजें रुकेगी । और इस सब से ज्यादा बुरी चीज जो मुझे लगती है वह यह है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उतना बुरा नहीं है जितना हुआ करता था । आज दुनियां में धर्म का भी डिस्क्रिमिनेशन उतना नहीं रह गया । दुनियां में पूंजीवाद और साम्यवाद की, उस के इंटरेस्ट की लड़ाई उतनी नहीं है कि जितनी कि अरबन और रुरल बायस की है । और सब मुल्कों में हो रही है । आज जो प्लानिंग होती है उसमें स्वास्थ्य से ले कर मिनिमम सुविधाओं तक सब्र रुपया शहरों पर खर्च होता है और कुछ हैंडफुल लोगों के काम में आता है । बड़े-बड़े स्टेडियम्स के लिये स्वीमिंग पूल्स के लिये, होटल्स के लिये, आरामगाहों के लिये खर्च हो जाता है और वह रुपया गांवों तक नहीं जा पाता । अभी कहा गया कि अफसरों को गांव में रहना चाहिए । देखने और सुनने में यह बात बहुत अच्छी लगती है । लेकिन वहां जो स्थिति है उस को सुधरने में काफी वक्त लगेगा । मेरे एक मित्र हैं । डी०आई०जी० थे पुलिस में । वे रिटायर होने के बाद पुलिस में । वे रिटायर होने के बाद गांव चले गए । 40 बीघा जमीन थी । खेती करना शुरु कर दी । एक महीने के अन्दर प्रधानी का चुनाव होने वाला था । उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी में नहीं रहूंगा । लेकिन कोशिश कर के लोगो ने उन्हें एक पार्टी में लगा दिया और फिर एक महीने के अन्दर ही उनको 107/117 में अपनी जमानत करानी पड़ी । यह हालत हो गयी है वहां की सुरक्षा की और हमारे गुजरात और महाराष्ट्र को छोड़ कर बाकी सारे देश में यह हालत आहिस्ता आहिस्ता फल रही है । आप एसे सूबे से आती हैं जिसका मैं अपने यहां जिक्र किया करता हूं । आप के गुजरात में सहकारी संस्थाओं को सही तरीके से चलाया गया है । पंडित जी का जबरदस्त विज्ञन था जब वह गांव, ब्लाक और पंचायत लेविल पर कोओपरेटिव को ले कर गये । लेकिन गलती से, दुर्भाग्य से ज्यादातर सूबों में हम ने ऐसा ग्रामीण नेतृत्व नहीं किया जो उन संस्थायों का फायदा उठा सकता । उल्टे वह अफसरों के साथ मिल कर खुद में एक अवसरवादियों का जाल बन गया जो आज वहां के ग्रामीण जीवन को तहस नहस कर रहा है और वहां के लिये एक शोषण का यंत्र बन गया है । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शहरों से व्यक्ति को गांव की ओर जाना चाहिए और शहरों के विकास को देख कर जो गरीब आदमी गांव से उखड़ कर आते हैं उन को यहां के रहन सहन में प्राथमिकता देनी चाहिए । जो प्राइवेट कालोनाइजर हैं उनके लिये कम्पल्सरी होना चाहिए और फिलिपीन्स में हो रहा है कि अगर एक हजार एकड़ जमीन की वह विकसित करेंगे तो 500 एकड़ जमीन वे सबसे गरीब आदमी के लिये विकसित करेंगे और वह उन को दी जायेगी तभी बाकी आदमी के लिये विकसित करेंगे और वह उन को दी जायगी तभी बाकी जमीन बड़े आदमियों के लिये दी जायेगी । बड़े आदमियों के मकानों पर भी पाबदी होनी चाहिए । कोई यह बात समझ में नहीं आती कि हमारे जैसे मुल्क में, दिल्ली में ही ऐसे मकान कम्पनियों के नाम और निजी आदमियों के नाम बने हुए हैं जिनके एक-एक मकान की लागत तीत तीन करोड़ रुपया है ।

आने वाले दिनों में मुझे दिखाई पड़ता है कि गांव से उखड़ा हुआ जो लड़का है वह अगर दिल्ली में आता है और तीन करोड़ के मकान यहां पर देखता है तो वह भड़क कर निराश होगा और कहीं उसने अगर हथियार उठा लिया जैसा कि आजकल की फिल्मों में बताया जा रहा है कि वायलेंस के अलावा किसी तरीके से आप अपनी समस्याओं का हल नहीं कर सकते हैं और अगर उसको यह लगने लग जाए कि दिल्ली में इसी तरह का जीवन है तो उसका कोई इलाज आपके पास नहीं है । जो पुलिस

[श्री सत्यपाल मलिक]

होगी वह भी उसी तबके की होती है जिसके पास चार पांच बीघे जमीन है और वे सब लोग रोजगार के मारे हुए दिन भर भटकते हैं और दिल्ली के होटलों में, गेस्ट हा उस में, बड़े बड़े घरों में क्या क्या होता है, यह जान लेंगे तो आप उनको रोक नहीं सकेंगे । तो आपको कहीं न कहीं रोक लगानी होगी और बड़े शहरों में इस तरह के जो मकान बन रहे हैं, उनको रोकना पड़ेगा आप को तय करना होगा कि बड़े मकान नहीं बनेंगे , इससे बड़े एरिया आप मकानों के लिए नहीं देंगे, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यहां तक चलेगी, उसके पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आपको सुधारना होगा । पहले गरीब आदमियों की रिहायश के लिए इंतजाम करना होगा , पहले उनकी बिजली का इंतजाम करना होगा तब औरों को आप देंगे । महोदय, यह आश्चर्य की बात है कि एफ० सी० आई० गेहूं खरीदता है किसानों से, लेकिन उसे वह बड़े आदमियों को भी उसी दाम पर बेचता है और साधारण आदमी को भी उसी भाव पर देता है । तो जितनी सुविधाएं हैं पहले वह गरीब आदमियों को मिलें, उसका आप कैटेगराइजेशन कर दीजिए कि इस आमदनी तक के आदमियों को ये सुविधाएं मिलेंगी वरना जो सबसिडी आप देते हैं वह गरीब को नहीं मिल सकती है और उसका प्लानिंग ठीक से नहीं हो सकता है ।

महोदया, हमारा लैंड ऐक्वीजिशन का तरीका ऐसा है जिससे कि शहर बढ़ रहे हैं । आप आक्रान्ता की तरह आए और पानीपत फतह कर लिया, उसके बाद दिल्ली आकर लूट ले सकते हैं । हमने डी० डी०ए० बनाया और उसका यह हक है कि वह बिना मुआवजे के किसी की जमीन मनचाहे दाम पर ले ले, यह चीज लोकतन्त्र में नहीं चल सकती है । 20 साल पहले 20 हजार एकड़ जमीन पड़ी है, आज तक उसको डेवलप नहीं किया गया । 50 रुपए गज के हिसाब से जमीन लेकर उसे 50 हजार रुपए गज नेहरु प्लेस में बेचा गया । गरीब लोगों के मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं । मिसाल के तौर पर मैं एक गांव चिराग दिल्ली का नाम लेता हूं जिसके चारों तरफ देश की सबसे मालदार आदमियों की कालोनी बनी है । शाम को वे लोग देख कर पागल हो जाते हैं । चिराग दिल्ली के एरिया में कार लेकर जाइए तो उसकी लाइट पड़ते ही वे बेचारी खड़ी हो जाती है, आज भी शौच के लिए उनको सड़कों पर आना पड़ता है जिसके चारों ओर आलीशान कालोनी बनी हुई है । उस गांव की जमीन 50 पैसे गज पर ली गई और 50 हजार रू० गज पर बेची गई । उनका लाल डोरा भी नहीं बढ़ाया गया । उनके पास पाखानों के लिए स्थान नहीं है तो यह कहां का न्याय है, मेरी समझ में नहीं आता । यह तय हो जाना चाहिए कि जिन गांवों की जमीनें ली जाएंगी उनको जमीन मुहैया की जाएगी । अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है लाल डोरा भी विकसित नहीं किया गया है । आप को निश्चय करना पड़ेगा कि फैमिली का एक यूनिट माना जाएगा और उसकी आवास की जितनी आवश्यकता है उसको उतनी जमीन दी जाएगी और उनको मीनिमम जरुरतें, स्कूल, अस्पताल, शौचालय, पार्क आदि तमाम चीजें देंगे तो उसको बाद आप नोटिफिकेशन कीजिए लेंड ऐक्वीजिशन के लिए । तो आपको लेंड ऐक्वीजिशन ऐक्ट में तब्दीली करनी चाहिए ।

इसके अलावा जो खतरनाक बात हो रही है वह आज दिल्ली को नहीं दिखाई दे रही है । एक बार चर्चा चल पड़ी है तो सब उसमें शरीक हो जाते हैं । पर्यावरण पेर आजकल बहुत जोर जो दिया जा रहा है, लेख भी अखबारों में छपे हैं, बहुत अच्छी बात है कि पर्यावरण के बारे में लोगों में जागृति आई है कि चीता नहीं मरना चाहिए, जंगल भी नष्ट नहीं होने चाहिए, आर्थिक ऐक्टिविटी गरीब की नष्ट होती है वह प्रीजर्व करने चाहिए । लेकिन मैं एक बुनियादी बात उठाना चाहता हूं । आप गांव को एक यूनिट मानकर चलते हैं तो सबसे जरूरी बात यह है कि गांव का जो पर्यावरण है उसको आप नष्ट होने से रोकिए । आज गांव के पर्यावरण को कायम रखने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है । हर गांव में उत्तर भारत में कम में कम चार तालाब गांव के चारों ओर होते थे, वहां कुछ बेर की झाड़ियां होती थीं । चरागाह होते थे, नहर किनारे फलदार वृक्ष होते थे, जामुन के, बबूल के, आम के और कई तरह के पेड़

पेड़ वहां लगे होते थे । अब आपको वे चरागाह नहीं मिलेंगे, वे पेड़ लगे हुए नहीं मिलेंगे । तालाब होते थे, उनको घेर रहे हैं इससे सारे गांव में पानी भर जाता है । गांव की हालत खराब होती जा रही है । बंजारे लोग कुएं खोदते थे । उसका पानी साफ रहता था और अब वह भी नहीं हो पा रहा है । हैंडपम्प आ गये हैं वे भी 25 फुट पर लागाये जाते हैं । इससे क्या होता है कि जो नालियों में गंदा पानी होता है वह उसमें आ जाता है और वहां गन्दा पानी गांव वालों को पीना पड़ता है । इस तरह से गांव में पर्यावरण की स्थिति खराब होती जा रही है ।इसके लिए आपके पास कोई योजना नहीं है । मैंने यह बात विषय से हट कर कह दी है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण थी । मैं फिर अपने विषय की तरफ आ रहा हूं ।

दिल्ली के चारों तरफ की जो जमीन थी वह जरखेज जमीन थी । जो टूरिज्म के शौकीन हैं वे जानते होंगे, वे श्रीनगर गये होंगे, उदयपुर गये होंगे और बहुत सी खूबसूरत जगहों पर गये होंगे, मैं जिन्दगी में उनको देख कर जितनी खुशी महसूस करता हूं आप भी उसमें शेयर करना चाहेंगे । जिस वक्त खेतों से गेहूं काटा जाता है सिर्फ उस मौसम को छोड़कर किसी भी मौसम में आप चले जाइये, दिल्ली से हरिद्वार कार से ड्राइव करिये तो वहां पर खेतों में काम करते हुए किसान आपको मिलेंगे । ऐसी खूबसूरत जगहें आपको हिन्दुस्तान में आसानी से नहीं मिलेगी । जमीन के एक-एक चप्पे पर मेहनत करके उसको उपजाऊ बनाते हैं । उनकी औरतें सुबह 6 बजे उठ कर वहां पहुंच जाती हैं । दोपहर में खाना लाती हैं । सारा दिन भर वे लोग उसमें लगे रहते हैं और उन खेतों को, जमीनों को ऐसा बनाते हैं जैसे आपके यहां रंगोली सजती है । इस तरह से अपने खतों को सजा कर रखते हैं । जब आप उस तरफ निकलेंगें तो आपको 10 किलो-मीटर का कोई भी पैच नहीं मिलेगा जहां जमीन की घेराबन्दी न कर ली हो । कोई उस जमीन पर एक्टीविटी पैदा नहीं होती । छोटे किसानों से लोग जमीन लेकर युक्लिप्टस के पेड़ खड़े कर देते हैं । जहां किसान लोग खेती करते थे, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि की खेती करते थे आज वहां दिल्ली के चारों तरफ नाजायज तौर से कब्जा किया जा रहा है । सेठ लोग जाते हैं जमीन खरीद लेते हैं, सस्ते दाम पर खरीद लेते हैं । और उस जमीन को अपनी अय्याशी के लिये इस्तेमाल में लाते हैं । आपको इस बात को तय करना होगा कि अर्बनाइजेशन के नाम पर, इंडस्ट्री के नाम पर या फिर किसी चीज के नाम पर जो अनाज पैदा करने वाली जमीन है, जरखेज जमीन है, उस पर किसी तरह से भी कब्जा नहीं किया जायेगा । यह निर्णय आपको लेना होगा । जैसे दिल्ली में तैमूरलंग आया था, और दूसरे जो लुटेरे आये थे दिल्ली में लूटपाट करके चले गये । विद्वान साथी ने बताया इतिहास में लिखा है कि दिल्ली में कुछ नहीं रहा था लेकिन अगले ही साल, यह सैन्टेन्स उसमें लिखा है कि इतनी अच्छी फसल हुई कि दिल्ली के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा गई । दिल्ली के बाजारों में जबर्दस्त रौनक थी । शहर की रौनक ऐसी तभी होती है जब किसान अपनी मेहनत से फसल पैदा करते हैं । लेकिन आज क्या हो रहा है कि दिल्ली के चारों तरफ की ऐसी फसल पैदा होने वाली जमीन फैक्टरी के नाम पर, अर्बनाइजेशन के नाम पर, इंडस्ट्री लगाने के नाम पर सस्ते दामों पर खरीद ली जाती है और उस जमीन को सेठ लोग अय्याशी का अड्डा बना लेते हैं, फार्म हाउस बना लेते हैं । मेरा यह निवेदन है कि इसको किसी न किसी तरह से भी रोका जाय । इन जमीनों को एक्वायर न किया जाये ।

अन्त में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो हमने एक आल्टरनेटिव बात सोची है कि हम दिल्ली के नजदीक सैट-लाइट टाऊन विकसित करेंगे इस पर पुनर्विचार करें । वर्ल्ड बैंक की जो किताब है, इस बारे में जो तजुर्बा है विकासशील देशों का, उस किताब में लिखा है उन्होंने यह माना है कि यह जरूरी नहीं है यह कोई कामयाब चीज हो । होता यह है कि इन सैटलाइट टाऊन को विकसित करने में कई बार रिसोर्सिज से ज्यादा खर्च करना पड़ जाता है और उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता । मैं निवेदन करूंगा कि यह

[श्री सत्यपाल मलिक]

बहुत महत्वपूर्ण योजना है । इसको करने से पहले एक ब्राडर कमीशन बनाना चाहिये जिसमें देश के विद्वानों को, विदेश के विद्वानों को इन्वाल्व किया जाय, जनप्रतिनिधियों को इन्वाल्व किया जाये । शहरीकरण के बारे में व्यापक तौर से इस देश में बहस होनी चाहिये । इसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिये । इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये । इससे फायदा होने के बजाय नुकसान होने की ज्यादा संभावना है । मेरा गांव यहां से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर है । मुझे खुशी होगी कि वहां की सड़क अच्छी हो जायगी । यह भी लगता है कि जमीन के दाम बढ़ायें जायेंगे । यह भी लगता है कि हम न मुगलों के हमलों से खत्म हुये और न अंग्रेजों के हमलों से, पर यह जो दिल्ली से हमला हो रहा है इससे हमारा सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन तहस-नहस हो जायगा । आप को चाहिये कि किसी की जमीन नजायज तौर पर न ली जाये । दिल्ली के आसपास का विकास इस समझदारी के साथ करना चाहिय कि वहां के लोगों को किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो । इसी के साथ जो रेजोलूशन कौशिक जी न रखा है मैं इसको बड़ा भारी क्रांतिकारी समझता हूं । इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुये मैं यह कहना चाहता हूं कि देश के शहरीकरण के बारे में और हमारे गांवों का जिस प्रकार से शहरीकरण हो रहा है उससे उनकी बर्बादी ही अधिक हो रही है । मैं चाहता हूं कि ऐसे गांवों के विकास के लिये एक व्यापक और दीर्घकालीन नीति तैयार की जाये और जो दिल्ली के आस-पास के इलाके हैं उनके विकास के लिये एक ब्रोडबेस्ड कमीशन बनाया जाये ।

**श्री सूरज प्रसाद** (बिहार) : माननीया, काफी लोगों ने इस बात की चर्चा की कि शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है । इसमें कोई शक नहीं है कि शहरों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है । लेकिन शहरों की संख्या में जिस गति से वृद्धि हुई है उस गति से देश के अन्दर विकास नहीं हुआ है । सन् 1950-51 में शहरों की जनसंख्या 2.33 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी थी, लेकिन आज सन् 1981 में यह संख्या 3.85 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी है । अगर शहरों की संख्या भी देखी जाय तो उससे पता लगता है कि शहरों में आने वालों की संख्या कोई अधिक नहीं है । हर साल एक अध्ययन के मताबिक गांवों से 15 लाख लोग शहरों में आ जाते हैं । इस प्रकार से अगर देखा जाय तो पता चलता है कि सन् 1971 से सन् 1981 के बीच में 47 मिलियन लोग देहातों से शहरों में आये हैं । इस प्रकार से लगता है कि शहरों से देहातों की ओर पलायन लोगों का हो रहा है । शहरों की जन संख्या की दृष्टि से हमारे देश का नम्बर चीन, अमेरिका और रुस के बाद आता है है । लेकिन सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि शहरों में जो आन वालों की जनसंख्या है वह शहरों में किस रूप में रहती है, उनकी जिन्दगी के लिय क्या इंतजाम शहर क अन्दर होता है । देखने में यह आता है कि शहरों में जो लोग आते हैं वे अधिकतर गन्दी बस्तियों में बस जाते हैं । सबसे बड़ी समस्या यह है कि फर्स्ट क्लास यानी प्रथम श्रेणी के शहरों में 60 प्रतिशत लोग गन्दी बस्तियों में ही बसते हैं । अध्ययन के मुताबिक शहरों में बसने वालों के लिये 4.6 मिलियन मकानों की कमी है । एक अन्दाजा लगाया गया है कि जिस गति से देश के अन्दर में गांवों से शहरों की तरफ पलायन हो रहा है उसके मुताबिक बीसवीं ईस्वी आते आते शहरों की संख्या तिगुनी बढ़ जायगी । जाहिर है कि इतनी जनसंख्या के लिये शहरों में पानी, मकान, स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था नहीं होगी । यह एक बहुत ही चिन्तनीय बात है और हमारे प्रस्तावक महोदय ने भी इस ओर इशारा किया है । प्रश्न उठता है कि आखिर शहरों में इतनी तेजी के साथ लोगों का पलायन क्यों हो रहा है ? शहरों की संख्या तो बढ़ेगी । मैं इस संबंध में आश्वस्त हूं । इसको कोई रोक नहीं सकता है । देश के अन्दर जो विकास के कार्यक्रम हैं जो रास्ता हमने देश के अन्दर अख्तियार किया है उसके मुताबिक देहातों से शहरों में लोग आयेंगे । सरकार की नीति है कि कृषि से लोगों को हटाया जाय और शहरों में लाया जाय, उद्योगों में लगाया जाय । इसलिए सरकार की नीतियों के अनुरूप ही यह काम हो रहा है, उसके विपरीत नहीं हो रहा है । 1950 में 72 प्रतिशत लोग इस देश में कृषि पर निर्भर थे

अब वह घटकर 66 प्रतिशत हो गए हैं। 8 प्रतिशत लोग अभी कृषि से हटे हैं। दूसरे देशों के अंदर कृषि पर निर्भर रहने वालों की संख्या बहुत कम है। अमेरिका में 7 से 10 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। देहातों से शहर की तरफ आने की जो प्रवृत्ति है वह तो रहेगी ही लेकिन चिंता की बात यह है कि शहर में आने पर उनके लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए सरकार उसमें असफल हो रही है। देहात से शहर की तरफ लोग क्यों आ रहे हैं, इसलिए कि देहात के अंदर जो रोजगार हैं वे छीने जा रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री श्री के० के० तिवारी भी देहात से आते हैं। हम लोग एक ही जिले के रहने वाले हैं। तो ग्रामीण जीवन को वे भी समझते हैं और मैं भी समझता हूं। ग्रामीण जीवन काफी कठिन और असुरक्षित होता जा रहा है। गांव में जो रोजगार हैं वे घटते जा रहे हैं और कृषि के विकास की गति एक तरह से मंद पड़ चुकी है, स्टेगनेशन की अवस्था में आ गयी है। पुराने जमाने में जो कुम्हारे थे वे मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना जीविकोपार्जन कर लिया करते थे लेकिन उनका रोजगार अल्युमिनियम के कारण छिन गया है। गांव के अंदर जो लुहार थे, जो लुहारी से अपने लोहे का सामान तयार कर अपनी जिंदगी व्यतीत करते थे उनका रोजगार "एग्रको" ने छीन लिया, है कुदाल बनाकर। जुलाहों का रोजगार बड़े बड़े सूत के कारखानों में अपहृत कर लिया है। महोदया सरकार ने कृषि विकास की जो नीति अख्तियार की है अगर हम गत 1950 के बाद से उसको देखें तो हमें लगता यह है कि कृषि के विकास की दिशा में देश में कोई भी तेज गति नहीं है। कृषि के विकास की दिशा में हमने जो पूंजीपति रास्ता अख्तियार किया है उसके लिए चलते कृषि के अंदर कुछ मुट्ठीभर धनी किसानों का एक तबका गांवों के अंदर पैदा होता जा रहा है और दूसरी ओर सीमान्त किसानों का सीमान्तीकरण और सर्वहाराकरण भी हो रहा है। कृषि में मंदगति से विकास और किसानों का सर्वहाराकरण और सीमान्तीकरण, मार्जिनलाइजेशन यह किसानों की जिंदगी में असह्य स्थिति पैदा कर रहा है। ऐसी स्थिति में गांवों से अगर शहरों की तरफ लोगों का पलायन हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। मेरी तो समझ यह है कि आने वाले दिनों में और तेजी के साथ गांवों से शहरों की तरफ लोग भागेंगे। अभी सरकार ने जो आर्थिक नीतियां अख्तियार की हैं, उन नीतियों के चलते देहात के लोग शहरों की तरफ आयेंगे। सरकार ने उद्योग के क्षेत्र में जो उदारवादी नीति अख्तियार की है, उत्तम मशीनों के इस्तेमाल की नीति अख्तियार की है मशीनों को उन्नयन करने की नीति अख्तियार की है, जो कम्प्यूटराइजेशन की नीति अख्तियार की है उसके चलते देश के अंदर बड़े और छोटे उद्योगों के बीच जो गला घोंटू कंपीटीशन होगा तो उस गला घोंटू कम्पीटीशन में हमारे मान्यवर के० के० तिवारी जी के जो छोटे उद्योग हैं उनका सर्व-नाश हो जाएगा और उस सर्वनाश के कारण और अधिक बेरोजगारी पदा होगी। जो शहरों की ओर पलायन करेंगे : जिसे रोका नहीं जा सकता है। ऐसी अवस्था में क्या किया जाना चाहिए? मैं यह मान कर चलता हूं कि शहरों में देहात से लोग अधिक संख्या में आएंगे। शहर में आ कर उन लोगों को पीने के पानी का ठिकाना नहीं, रोशनी का ठिकाना नहीं, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। यह लोग गन्दी बस्तियों में रहेंगे और रोगों का शिकार होंगे। यह एक आम बात है। गन्दी बस्तियों में रहने वालों के जो बच्चे होते हैं वे अपराधकर्मी बन जाया करते हैं। ऐसी अवस्था में सरकार इनके लिए क्या व्यवस्था कर सकती है? मेरा सुझाव यह है कि शहर में इन लोगों के लिए मकान मुहैया किए जाएं लेकिन यह मकान इन को कौन देगा? हमारी सरकार का लक्ष्य समाजवाद लाने का है और समाजवाद को यह सरकार स्वीकार कर चुकी है माननीय तिवारी जी क्या मैं यह सही कह रहा हूं या नहीं

**उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी)** : सरकार समाजवाद ला रही है **(व्यवधान)**

**श्री सूरज प्रसाद** : तो सरकार का लक्ष्य है समाजवाद लाना। समाजवाद में सब को मकान मुहैय्या करना सरकार का कर्त्तव्य होना चाहिए। हमारे मंत्री लोग काफी समाजवादी मुल्कों में घम आए हैं उन देशों की व्यवस्था के बारे में उनको जानकारी है कि गरीब लोगों को मकान कैसे दिया जाता है। हमें यह मालूम है कि शहरों के इर्दगिर्द जो जमीन है उन जमीनों की प्रोफिटेयरिंग होती है और इसके चलते जमीनों की कीमतें बढ़ जाती है। किसी गरीब आदमी के लिए जो रोजी रोटी की तलाश में आया है, शहर में अपने रहने के लिए कुछ गज जमीन पा लेना असंभव है। इसलिए जब तक सरकार शहर के आस-पास की जो जमीनें हैं जिन में स्पेकुलेशन होता है, मुनाफाखोरी होती है, लोग सस्ती दर पर जमीन खरीद कर ऊंची कीमतों में बेच देते हैं, जहां पर इस तरह की प्रवृत्ति जारी है अगर उन जमीनों पर अपना अधिकार जताए और उन जमीनों पर गरीबों को बसाने के लिए मकान बनाए और सस्ती दर पर सस्ते किराये पर उनको मुहैय्या कराए तो शहर में आने वाले इन लोगों की समस्या का कुछ हद तक समाधान हो सकता है। दूसरी बात यह है कि गांव की जो स्थिति है वहां समन्वित विकास की जरूरत है प्लांड डेवलपमेंट की जरूरत है। वर्तमान सरकार की जो नीति है इस नीति से सवहारा-करण होगा, मार्जिनल फारमर्ज की संख्या बढ़ेगी, किसानों की संख्या घटेगी, शहरों की तरफ पलायन होगा। फिर भी अगर संतुलित नीति अख्तियार की जाए तो गांव में समाज के विकास का भी कुछ काम हो सकता है। अभी सरकार के विकास की जो मूल दिशा है वह है मुट्ठी भर जो धनिक किसान हैं उनको साधन-संपन्न किया जाए ताकि वह अधिक विकसित हो सकें। यह है सरकार की कृषि नीति। यह उसकी मूल नीति है। अगर सचमुच में पलायन को रोकना है ग्रामीण जिन्दगी को सुखमय बनाना है तो हमारा सुझाव है कि सरकार को चाहिए कि इस में किसान संबंधी और गरीब किसान के विकास के लिए एक समन्वित नीति अख्तियार करें ताकि उनका विकास हो सके। दूसरी बात यह है कि गांवों के अन्दर अभी ऐसे बहुत से रोजगार हैं, उनके सामने चार समस्याएं हैं। उनके लिए बिजली उपलब्ध नहीं है, रा-मेटिरियल नहीं है, बाजार नहीं है। इसलिए देश में एक लाख छोटे और बड़े उद्योग मर चुके हैं। उसका प्रधान कारण है इन चीजों का न प्राप्त होना। मैं बड़े उद्योगों का विरोध नहीं करता हूं, वे जरूरी हैं, बुनियादी उद्योग देश में जरूरी हैं, तेज गति से औद्योगिक विकास की दृष्टि से; अभी जो हमारे माननीय सदस्य राम अवधेश अवधेश जी बोल रहे थे, उनके विचार कुछ अन्य हो सकते हैं। लेकिन मैं उनके विचार से सहमत नहीं हूं। उनके विचार देश को बिल्कुल औपनिवेशिक जुए में बांधने की नीति हैं। उनसे देश का संतुलित आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। हिन्दुस्तान के अन्दर जो कुछ भी विकास हुआ है, उसका प्रधान कारण यह है कि हिन्दुस्तान में बुनियादी उद्योगों का विकास हुआ है। अगर यह नहीं होता—इनके मालिक यहां बैठे हुए हैं—तो हिन्दुस्तान का जो कुछ विकास हुआ है, वह भी नहीं होता। लेकिन साथ ही साथ बड़े उद्योग और छोटे उद्योगों के बीच में एक मेल स्थापित करना चाहिये, ताकि संतुलित विकास हो सके, दूसरा इसके बारे में हमारा सुझाव यही है।

तीसरी बात जो इस संबंध में कहना चाहता हूं कि वह यह कि शहरी विकास के लिये जो फेक कोआपरेटिव सोसाइटीज बनी हैं, जो गलत ढंग से जमीनें अर्जित कर लेती हैं ले लेती हैं और बड़ी कीमतों पर बेच देती हैं, उन कोआप-रेटिव सोसाइटीज को भंग कर देना चाहिये और गवर्नमेंट को उन जमीनों को अपने हाथों में लेना चाहिये तथा ले करके

सही ढंग से गरीबों के लिये मकान बनवाने चाहियें और उनको देने चाहियें । मैं एक दिन एक अमेरिकी लेखक का लेख पढ़ रहा था, जिसमें सोवियत रशिया के मकानों के बारे में जिक्र था । उनका कहना यह है कि 1928 में जो मकान का किराया था, वही मकान का किराया अभी तक 1986 में रशिया में है । किराया बढ़ा ही नहीं है । इस तरह से लोग घरों में मुफ्त में रहते हैं । एक तरह से यह मुफ्त ही है । थे कहना चाहता हूं कि गांवों से अधिकतर कौन लोग भाग रहे हैं ? अमीर लोग कुछ आते होंगे, बड़े-बड़े कारखाने खोलने के लिये लेकिन अधिकतर भागने वाले कौन हैं और आते हैं तो क्या करते हैं ? मुझे इनकी मीटिंग में जाने का मौका मिलता है । बिहार और यू०पी० के लोग आम तौर पर यहां एक मीटिंग किया करते हैं । उनकी जनसंख्या करीब एक लाख है । वे करते क्या हैं । वे रिक्शा चलाते हैं, टमटम चलाते हैं । वे शहर के फुटपाथ पर सामान बेचते हैं । वे गन्दी बस्तियों में काम करते हैं, वे यहां के आस पास के छोटे छोटे कारखानों में काम परते हैं । उनको मजदूरी कितनी मिलती है ? सरकार ने तय किया है कि 500 रुपये उनको तनख्वाह मिलेगी, लेकिन उनको तनख्वाह मिलती है, ढाई तीन सौ । किस तरह के मकानों में रहते हैं । ऐसे मकान में रहते हैं जिनका किराया सौ डेढ़ सौ होता है और सौ डेढ़ सौ में मकान मिलते नहीं हैं । तो यह है उनकी स्थिति । साढ़े तीन सौ तनख्वहाह पाने वाले डेढ़ सौ के मकान में रहें । सोचिये वे कैसे रहते होंगे । अपने परिवार को कैसे जिंदा रखते होंगे । तो सरकार को जमीन अर्जित करनी चाहिये, उस जमीन पर मकान बनाने चाहियें और गांवों से जो गरीब आये हैं, उनके लिये वे मकान मुहैया किये जाने चाहियें, ताकि बड़े शहरों के अन्दर जो गन्दी बस्तियां है, उनकी भी संख्या कम हो सके और गांवों के सुन्दरीकरण की दिशा में भी सरकार द्वारा कुछ वृद्धि की जा सके । इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

**श्री धूलेश्वर मीणा :** (राजस्थान) : माननीय उपसभापति महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं, कि आपने मुझे इस मौके पर बोलने का समय दिया । साथ ही साथ मैं इस रिजोल्यूशन जो मूव करने वाले कौशिक साहब का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इस प्रकार का रिजोल्यूशन देश और संसद के सामने रखकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठाई है, खास करके गरीब लोगों के लिये । महोदया, इस रिजोल्यूशन के द्वारा देश के अन्दर जो लोग खासकर गांवों की ओर से पलायन करके शहरों में आकर्षित होते हैं, तो उनके आकर्षित होने का मुख्य कारण हमारे कई माननीय महोदय वक्ता भाइयों ने बताया है । महोदया, जैसा कि मुझे ध्यान नहीं था, लेकिन बताया गया कि आप भी गांव की रहने वाली हैं और हमारे शहरी विकास मंत्री जी भी गांव के रहने वाले हैं, तिवारी जी तो खैर अच्छे इलाके से आते ही हैं । रेजोल्यूशन रखने वाले भी गांव के हैं । इसलिये ही वह यह रेजोल्यूशन लाये हैं ।

मैं आपका ध्यान और हाऊस का ध्यान उस ओर ले जाना चाहता हूं कि वह क्या कारण है, जिनके कारण गांवों के लोग शहरों की तरफ दौड़ रहे हैं ? अलबत्ता, यह जरूरी है कि आज गांवों में इस प्रकार के साधन नहीं रहे हैं या हैं भी, तो बहुत कम होते जा रहे हैं । आज किसान गांव में खेती करता है, पशु पालता है, बकरियां पालता है, भेड़ पालता है, ऊंट पालता है और इस प्रकार के धन्धे वह करता है, पहले भी करता था, अब भी कर रहे हैं । लेकिन धीरे-धीरे यह सब खत्म हो रहे हैं । अब यह खत्म होने का मूल कारण क्या है ?

महोदया, मैंने इस हाऊस में कितनी बार बताया है कि इस प्रकार के जो कारण हैं, कुदरत पर तो पूरी कमाण्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस पर कुछ रोक जरूर लगा सकते हैं । किसानों के वहां से हटने का मूल कारण अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा कर अच्छी नौकरियां दिलाना तो खैर है ही, लेकिन जो कोई काम कर रहे हैं, खेती में, खेती में वहां पर काम करने के लिये जो सुविधा

[श्री धूलेश्वर मीणा]

सरकार देती है, वह तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी समस्या पानी की है। अगर पानी नहीं बरसता है, तो खेती नहीं हो पाती है, लेकिन मेरा यह निवेदन है कि जो कुछ भी पानी बरसता है, उसको रोकने के सही साधन सभी जगह किये जायें।

हमारे एक माननीय साथी बोल रहे थे कि बिहार की तरफ तो बहुत ही नदी-नाले पेरीनियल बहते रहते हैं। जो पेरीनियल नदी-नाले बहते रहते हैं, उसकी बात तो मैं नहीं करता हूं, लेकिन जहां इस प्रकार का पानी बह कर, बड़ी नदियों से होकर के सागर में चला जाता है, उसको रोकने के लिये सरकार बड़े-बड़े बांध बांधती है, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि सरकार बड़े-बड़े बांधों को बाद में बांधे, जहां जरूरत हो, वहां बांधे, लेकिन पहाड़ों से जो पानी बरसता है और पहाड़ों से होते हुए जब मैदान तक आता है, तो छोटे-छोटे बांध पहाड़ों से लेकर के बांध दिये जायें और उन छोटे-छोटे बांधों को बांध करके फिर पहाड़ों से लेकर के और नीचे मैदान तक इस प्रकार के छोटे-छोटे बांध बांधे जायें। उससे क्या होगा कि पानी भी रुकेगा और पानी से आसपास का वैजिटेशन या पेड़-पौधे तो बढ़ेंगे ही, साथ में कुंओं में भी पानी होगा। इसके साथ ही नीचे आकर के जब आप थोड़े-बड़े बांध बांधेंगे, तो इससे पानी रुकेगा और बिजली भी पैदा होगी।

इस प्रकार से क्या होगा कि सारे नदी - नाले इस प्रकार से बांध दिये जायें और जंगलों का जैसे आज से बीस साल पहले जहां घना जंगल था, बहुत ही डेंस फारस्ट था, वह आज जंगल के ठेकेदारों ने, जंगलात वालों के जरिये काट करके बैरन कर दिये हैं। मैं राजस्थान से आता हूं। राजस्थान वैसे भी रेगिस्तान है ही, लेकिन अगर यही हाल रहा, तो राजस्थान का सब तरफ, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, सारे भाग इस प्रकार से कट कर बैरन हो जायेंगे और कहीं भी आज जिस तरह पहले झाड़ियां थीं, आज बिलकुल जंगल खाली हो गये हैं।

मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार से जंगल काटने वाले लोगों को, जंगलात के ठेके नहीं दिये जाने चाहियें और सरकार की पालिसी के अनुसार जो रेज़र्व्ड फारेस्ट्स हैं, उनको पांच सालों के बाद काटने की इज़ाजत दी जानी चाहिए और जो रेज़र्व्ड नहीं हैं, उनके ऊपर भी इस प्रकार की रोक लगाई जानी चाहिए। अलबत्ता कहा यह जाता है कि गांवों में रहने वाले लोग, किसान मजदूर जंगलों से लकड़ियां काट कर ले जाते हैं और इसलिए जंगल बरबाद होता है, लेकिन उनके काटने से कितने परसेंटेज बरबाद होता है ?

इसलिए इस प्रकार के ठेकेदारों को खत्म किया जाए और अधिक से अधिक जहां पर जंगल नहीं हैं वहां पर युद्ध स्तर पर जंगल लगाने का कार्यक्रम शुरु किया जाना चाहिए और छोटे-छोटे बांध को बांधने का कार्य किया जाना चाहिए। मैं एक दिन बोल रहा था, हमारे माननीय सहयोगी भाई बोल रहे थे कि आप हमें पहले बांध बांधने की इजाजत दीजिए और गुजरात के बार्डर पर इजाजत दी जाए। लेकिन मैं इसके बिल्कुल ही विपक्ष में हूं और इसके खिलाफ हूं। क्योंकि बड़े बांध बांधने से जैसा कि महोदया, आपको याद है कि उस दिन भी मैंने निवेदन किया था कि इस प्रकार के बांध जब बांधे जाते हैं तो वहां की जनता को हटाकर, शिफ्ट करके दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। उनको न तो कम्पेंसेशन पूरा मिलता है और न उनके रहने का इंतजाम किया जाता है लिहाजा होता क्या है कि वे दर-दर भटकते रहते हैं। आखिर वे लोग किसी और शहर की शरण लेते हैं, इस प्रकार से अपने धंधे के लिए, रोजगार के लिए ये लोग शहर में आते हैं, क्योंकि आज हर कोई शहर में नौकरी करने के लिए तैयार है। अगर डाक्टर

है तो वह शहर में जाएगा, अगर टीचर है तो वह शहर जाएगा, इसलिए कि गांवों के अन्दर सुविधाएं नहीं मिलती हैं । मैं यह नहीं कहता कि शहरों का विकास आप नहीं करें, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार का ध्यान अधिक से अधिक गांवों की तरफ़ जाए । वहां पर इस प्रकार की सुविधाएं अगर उपलब्ध हों तो हर कोई वहां रहना पसन्द करेगा और नौकरी करना पसन्द करेगा । आप इस प्रकार के सभी काम वहां पर कीजिए । मैं बोलना तो बहुत चाहता था लेकिन जो आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं इसी के साथ कौशिक साहब के रैज़ोल्यूशन का मुक्त कंठ से स्वागत करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि इनके इस नान-आफीशियल के रुप में आए हुए रेज़ोल्यूशन को ही पास किया जाए । धन्यवाद ।

**श्री कैलाश पति मिश्र** (बिहार) : महोदया, प्रस्तावक महोदय के प्रस्ताव से सहमत रहते हुए भी इसका कोई निदान निकलेगा इसकी आशा मुझे दिखाई नहीं दे रही है । इतना गंभीर यह सवाल खड़ा हो गया है कि एक-दो बार संसद् में विचार कर लेने से इसका समाधान नहीं निकलेगा । मुझे याद है मेरा जन्म एक छोटे से गांव के एक ऐसे मकान में हुआ जिसकी दीवालें मिट्टी की थीं, ईंटों की नहीं और खप्पड़ की छत थी उसके एक कमरे में मेरा जन्म हुआ था । बचपन और प्राथमिक शिक्षा गांव में और उसके बाद शिक्षा का संबंध तो शहर से जुड़ा है । 1945-46 तक स्कूल में और कालेज में प्रवेश करने के बाद भी दो दिन की जिसमें छुट्टी रहती थी उस समय एकदम गांव में भागने की इच्छा होती थी और गांव में जो मस्ती दिखाई देती थी वह शहर में नहीं थी । शहर में मन बिल्कुल नहीं लगता था । महोदया, आज गांवों में पढ़ाई नहीं है, डाक्टर और दवा नहीं है । गांवों में सड़कें नहीं हैं, रोज़गार नहीं है और बिहार जैसे प्रदेशों की हालत यह हो गई है कि वहां पर जिन्दगी की सुरक्षा नहीं है । परिणाम यह हो रहा है कि शहरों में बुरी तरह से भीड़ भाग र ही है । कोई भी आज हम कानून बना लें, कोई व्यवस्था इस भीड़ को रोक नहीं सकती, इसको शहरों में जमा होने से रोक नहीं सकती । मौलिक चिंतन की आवश्यकता है । चर्चा बहुत हो गई है मैं लंबा भाषण नहीं खींच सकता । मौलिक चिन्तन की आवश्यकता है । 83 प्रतिशत की आबादी जो गांवों में रहती थी आज उसको हम गांवों में टिकाए रखना चाहते हैं और अगर उसको गांवों में टिकाए रखना चाहते हैं तो उसकी मानसिक स्थिति का विचार करें कि वह कैसे टिके । महोदया, 1977 में सरकार बदली थी जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी । मैं स्वयं राज्य सरकार में वित्त मंत्री था बिहार में । जहां गांव में पैर रखा, 10 सवालों की चर्चा नहीं होती थी गांव वाले कहते थे कि मेरे गांव में सड़क नहीं है । एक बार मन में आया कि बिहार के 78 हजार गांवों को सड़क से जोड़ने के लिये अगर कोई कदम उठाया जाय तो कितने पैसे की आवश्यकता है, कितने खर्च की

[श्री कैलाश पति मिश्र]

आवश्यकता है । तो उस समय जो भी सरकारी तंत्र था इसका आंकलन करने के लिए, उन्होंने जब आंकलन निकाला तो देखते हैं कि एक सूबे की गांव की सड़क के लिए 6000 करोड़ रुपया चाहिए अब 78,000 गांव और 7 करोड़ की आबादी । यहां 1/10 आबादी है संपूर्ण भारत की और लगभग हर क्षेत्र की यह नौबत है इससे हिसाब लग सकता है भारत के पांच लाख गांवों को सड़क से अगर जोड़ा जाय तो कितना पैसा लगेगा ? मैं कहना चाहता हूं कि औद्योगीकरण की नीति पर तो बाद में जायें लेकिन आज भी गांव पक्की सड़क से जुड़ जाय गांव बिजली से जुड़ जाय और गांव में पीने के लिये और सिंचाई के लिये पानी मिल जाय तो 90 प्रतिशत देश के अंदर जो समस्याएं खड़ी हैं, इन समस्याओं का समाधान हो जायेगा ।

महोदया, कभी-कभी मैं आग्रह करूंगा आप किसी एक रास्ते पर चलें । अब पटना से रांची सड़क है । यह सड़क जरा अच्छी है, पक्की है, चौड़ी है अब पटना से रांची चलते-चलते आप देखेंगे एक हजार से अधिक होटल बने हुए हैं, सड़क के दोनों तरफ होटल बने हुए हैं, कई बार मैंने होटलों को लेकर छानबीन करने की कोशिश की तो एक होटल दिखाई नहीं देता, जिसमें 25–30 लोग काम न करते हों । अब इनमें सरकार के एक पैसे की पूंजी लगी है क्या ? कोई सरकार की योजना जुड़ी है क्या ? बिल्कुल नहीं जुड़ी है केवल इतना है कि वहां पर पक्की सड़क हैं, बिजली है । अगर एक बार भारत गांवों में विद्युतीकरण कर दे, सड़कीकरण कर दें, इसकी प्राथमिकता हम अनुभव करें, तो मैं समझता हूं कि इस प्रसंग पर विचार करने का कोई उपयोग है और इसको आगे बढ़ाएंगे ।

फिर दूसरा, बचपन मुझे याद है । शरीर पर लगाने के लिए और खाना के लिए तेल शहर से खरीद कर नहीं आता था, पहनने के लिए जूता किसी बाहर के शहर से नहीं आता था, कपड़ा-मोटा कपड़ा होता था, वह गांव के अन्दर बन जाता था, दूध गरम करने के लिए या चावल दाल पकाने के लिए या सब्जी बनाने के लिए कोई बर्तन शहर से खरीद कर नहीं आता था बल्कि गांव में ही बनकर उपयोग में आ जाता था । आज जब औद्योगीकरण की ओर बढ़े हैं तो क्या इसका हिसाब लगाने की आप कोशिश करते हैं कि 40 साल पहले जितना देश के अन्दर उद्योग था और जिस रूप में वह उद्योग था, जहां अवस्थित था, जहां पर केन्द्रित था, उसको देखते हुए क्या यह औद्योगीकरण का विकास हो रहा है या एक-एक की हत्या करते हुए, एक-एक को समाप्त करते हुए देश के अन्दर औद्योगीकरण का ह्रास हो रहा है ?

महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि गांव में जायं तो वहां बर्तन बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, गांव में जाने के बाद जो चमड़े के जूते बनते थे, बनते हुए हां दिखाई नहीं दे रहे हैं, गांव में आज घी बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है आज गांवों में मक्खन बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है ...(**समय की घंटी**)... दो मिनिट बोलने दीजिए इस विषय के ऊपर। मैं स्वयं लम्बा नहीं करना चाहता ।

माननीया, एक-एक काम जो गांव में होते थे और एक प्रकार से जीवन की आवश्यकता की पूरी वहां पर परिपूर्णता हो जाती थी; आज एक भी काम गांव के अन्दर दिखाई नहीं दे रहा है । कृषि के बारे में कई बार चर्चा हो गयी है कि देश की खेती अव्यवस्थित हो गयी है । लाभप्रदक अवस्था उसकी नहीं रह गयी है । जो और कहीं नहीं जा सकता है किसी उद्योग में नहीं जा सकता है, किसी दफ्तर में नहीं जा सकता है, किसी कालेज में नहीं जा सकता है, किसी स्कूल में नहीं जा सकता है, शहरों में मानो उसके लिए दरवाजा बंद हो गया है

तो वहीं जाकर खेत के ऊपर खड़ा होता है। आप देश की इस 82 प्रतिशत आबादी का क्या करना चाहते हैं ? इसको कहां ले जाकर खड़ा करना चाहते हैं ? पूज्य गांधी जी ने रास्ता अवश्य दिखाया था, लेकिन इतनी जल्दी उस रास्ते को हम भूल जाएंगे उसका विस्मरण कर जाएंगे कि जीवन से उसका कोई संबंध नहीं रह गया इसकी कल्पना तो नहीं की जा सकती थी। औद्योगीकरण करना चाहिए, लेकिन एक अन्तर करना आवश्यक है – एक आधारभूत उद्योग दूसरा अनावश्यक उद्योग। मैं कहना चाहता हूं कि आधारभूत उद्योगों में आप तीन बड़े पैमाने के उद्योगों को लीजिए, डिफेंस इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री और बैसिक इंडस्ट्री। बैसिक इंडस्ट्री से उन छोटी-छोटी मशीनों को जोड़िए जो आधुनिकीकरण करते हुए गांव के उद्यमियों को वहीं पर बसने के लिए प्रेरित करें। अगर भारत के पांच लाख गांव उजड़ते चले जायेंगे तो वहां अराजकता तो होगी ही, शहरों के अन्दर, महानगरों के अन्दर भी अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। चाहे कोई भी नियम बना लें, शहरों में छोटी झोंपड़ियों का विस्तार होगा और ऐसे नरकीय जीवन का दृश्य उपस्थित होगा जिसकी किसी प्रकार रोकना सम्भव नहीं है।

मेरे एक मित्र ने कहा कि राजधानी में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए लोगों की संख्या बीस लाख होगी, मैं समझता हूं कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए लोगों की संख्या 25 लाख हो गई है। मैं राजौरी गार्डन में एक कमरे में गया। जिस कमरे में दो आदमी नहीं रह सकते, उसमें मकान मालिक ने बीस लोगों को ठूंस कर रखा है। मैंने पूछा कैसे रहते हो, मुफ्त में रहते हो, कुछ खर्च करते हो। एक-एक ने बताया कि दस-दस रुपया महीना देते हैं। बोस का दस से गुणा कर दीजिए। ऐसा कमरा जिसके साथ शौचालय नहीं, भोजन बनाने की जगह नहीं। बाहर के मैदान में भोजन बनाना पड़ता है। भोजन क्या पकाते हैं, मोटी रोटी खाने के लिए बैठ गए, मैंने कहा सब्जी कहां है, दाल कहां है, कहा कि उसका दर्शन नहीं है। दो-चार लहसुन के दाने उठाए, मिरची रगड़ी, उसी चटनी के साथ मोटी-मोटी रोटी खानी शुरू की। दूर से आए हुए लोग इस प्रकार की जिन्दगी बिताएंगे क्योंकि पूरे परिवार को लाने की क्षमता नहीं है। ऐसी अवस्था में कौन से नियम, कौन सा तंत्र शहरों की तरफ आने वाली भीड़ को रोक सकेगा। इसलिए, महोदया, मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि गम्भीरतापूर्वक विचार करें लेकिन तीन काम जरूर करें कि गांवों को पक्की सड़कों से जोड़े, गांवों को बिजली से जोड़ें, वहां पानी पहुंचाएं। इसको अगर आप प्राथमिकता देंगे, योजनाओं में प्राथमिकता देंगे, बजट में प्राथमिकता देंगे तो शहरों में भीड़ बढ़ने से रुकेगी और गांवों की ओर मुड़ने की रूचि फिर पैदा होगी। यही पर मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are now six Members who want to speak. And the Minister will speak at about 4-30 p.m. So I request Members to make their points within five minutes. Dr. Ratnakar Pandey.

**डा० रत्नाकर पाण्डेय :** (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, श्री कोशिक जी ने 14 नवम्बर, को जो संकल्प प्रस्तुत किए हैं वे बड़े ही विचार के बाद धरती के प्रश्न पर राष्ट्रहित को भूल में रख कर प्रस्तुत किए गए हैं। मैं इनका समर्थन करता हूं। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे या और भी जो बड़े नगर बसते जा रहे हैं आज तेजी के साथ गांवों को छोड़ कर लोग उनकी ओर भाग रहे हैं और उसका कारण यह है कि पढ़ने-लिखने के बाद कोई खेती नहीं करना चाहता है, बल्कि दो सौ रुपए की नौकरी पढ़ा-लिखा एम० ए० पास कलर्की और चपरासीगीरी करना चाहता 4.00 p.m.

है। लेकिन खेती नहीं करना चाहता है। यह जो आकर्षण नगरों का है इस से हमारे गांव कंगाल हो रहे हैं। नगरों की स्थिति यह है कि एक ओर इतनी ऊंची-ऊंची अट्ट लिकायें जिनको देख कर सिर की टोपी नीचे गिर जाय और दूसरी ओर दरिद्रता के पुंज के रूप में झुग्गी झोंपड़ियां दिखाई पड़ती हैं ठीक उसके सामने और हर

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

नगर में इस तरह का विभेद, इस प्रकार की डिस्पेरिटी बढ़ती जा रही है । जंगलों में बहुत से लोग नाजायज ढंग से एक ओर जहां वन विकास की बात हमारा शासन और सारा देश कर रहा है कि वहां वन लगाये जायें , पर्यावरण की पवित्रता के लिये, वहीं वनों में नाजायज ढंग से खेती की जमीन लोगों ने कब्जा कर रखी है और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने नियम बनाया है कि जो भी हरिजन, आदिवासी या गरीब जंगल की जमीन पर बसा हुआ है उस जमीन का वह स्वामी होगा आवास की दृष्टि से लेकिन गांव में जो जमीन परती छोड़ी जाती है उसका भी वितरण ठीक ढंग से नहीं हो पाता है और जो निरीह दबे हुए अशिक्षित अभावग्रस्त व्यक्ति हैं उस का जो हिस्सा है वह उस को नहीं मिल पाता है । यह प्रायः देखने में आता है । इस लिए सारे महानगरों में जिन लोगों के पास जरूरत से ज्यादा संपत्ति है जमीन ही जमीन का मूल्य आज सोने से भी बढ़ गया है । आज जो जमीन 33 रुपये गज 1969 में दिल्ली में लोज पर ली गयी थी आज उस का मार्केट रेट 8000 रुपया गज हो गया है । इस का मुझे अनुभव है और जिन महानगरों में शहरी जमीन है वहां बड़ी तेजी से कुछ पूंजीपति लोग जिन के पास अधिकाधिक धन है वे सारी जमीन पर कब्जा कर लेना चाहते हैं । सरकार को चाहिए कि कोई ऐसा कानून बनाये जिस से किसी व्यक्ति के पास चाहे वह धनी हो, गरीब हो, निर्धन हो, ऊंचा हो, नीचा हो, एक सीमा से अधिक जमीन नहीं होनी चहिए और ऐसे कानून का कड़ाई के साथ पालन किया जाय । दिल्ली के मास्टर प्लान को मुझे देखने का मौका मिला है और बड़ी सरहानीय और महत्वपूर्ण योजना वह है । पिछले दिनों लाल डोरा की जमीन को ले कर सदन में कुछ बात उठी थी । अगर हमें विकास करना है तो निश्चित रूप से इस मोह को छोड़ना पड़ेगा कि 21वीं सदी में जाने के समय दिल्ली के लिये चाहे हरियाणा की जमीन ली जाय चाहे उत्तर प्रदेश की जमीन ली जाय चाहे राजस्थान की जमीन ली जाय, लेकिन इस के विकास करने के लिए किसी तरह की भी ढील नहीं दी जानी चाहिए । लेकिन जिन लोगों की जमीन ली जाय उन्हें शासन को उद्योग देना चाहिए या उन के परिवार के लोगों को भरण पोषण के लिए नौकरी आदि देनी चाहिए । दिल्ली में कालोनीज की बड़ी विचित्र स्थिति है । इस पर मैं आना चाहता हूं । यहां बहुत सी प्राइवेट कालोनीज बन रही हैं और कोआपरेटिव बेसिस पर उस से देखा गया है कि बहुत सी समस्यायें हल हुई हैं । दिल्ली, बम्बई कलकत्ता और मद्रास जैसे बड़े शहरों में आवास की जो विकट समस्या है उसमें ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज बना कर काफी हद तक समस्या को हल किया गया है । अपने अपने ग्रुप के लोग कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाये हुए हैं और इससे एक वर्ग विशेष अपने अपने आवास की समस्या को हल करने की ओर अग्रेसर हो रहा है । परन्तु इन सोसाईटियों को भी बहुत बड़ी-बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । दिल्ली डवलपमेंट अथारिटी ने सोसाइटियों को जमीन आवंटित कर दी हैं लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह नहीं देखा जाता कि जो जमीन उन्हें आवंटित की जा रही है क्या उस में मकान बन पायेंगे । बहुत-सी सोसाइटियों की ऐसी हालत है और उस और माननीय उप-सभापति जी, आप के माध्यम से हाउसिंग मिनिस्ट्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि राज्य सभा सचिवालय के अफसरों की भी एक हाउसिंग सोसाइटी है पीतमपुरा में । उस को जमीन दी गयी जिस का निर्माण कार्य चल रहा है । लेकिन डी० डी० ए० की गलती के कारण ऐसी जमीन राज्य सभा सचिवालय को मिली जिसके काफी बड़े हिस्से पर हाई टेंशन वायर जा रही है । उसके नीचे कोई निर्माण कार्य करना खतरे से खाली नहीं है । इस सोसाइटी के निर्माण कार्य में हाईटेंशन वायर के ऊपर से जाने के कारण बड़ी कठिनाइयां और बाधाएं पड़ रही हैं जिसका कोई भी समाधान डी० डी० ए० आज तक नहीं निकाल पाया है । इसलिए इस सोसाइटी के निर्माण कार्य में हाई-टेंशन वायर के कारण जो बाधा आ रही है, वह कैसे दूर होगी, इस पर आप गौर करें । इसी सदन में कई बार मंत्री महोदय ने

आश्वासन दिया है कि हाई टेंशन वायर को शीघ्र हटा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सका है । इसके लिए डी० डी० ए० कहता है कि यह हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का दायित्व है और हमारी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है और हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कहता है कि डी० डी० ए० का दायित्व है । इस तरह इस समस्या का समाधान टाला जा रहा है जिससे इस सोसाइटी का कार्य नहीं हो रहा है । डी० डी० ए० ने गलती की है तो उसे सुधारना भी चाहिए । ऐसी जमीन नहीं दी जानी चाहिए थी और अगर दी हैं तो उसके ऊपर से जो हाई टेंशन वायर जा रही है उसको तत्काल दूसरी ओर से ले जाना चाहिए ताकि सोसाइटी का निर्माण कार्य न रुके ।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को सरकार से ऋण मिलना चाहिए और इसकी व्यवस्था भी हाउसिंग मिनिस्ट्री को करनी चाहिए । इन समस्याओं के समाधान से मैं समझता हूं कि जो विभिन्न ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनसे विशेष वर्ग के लोगों को आवास बनाने की सुविधा होगी । मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सुझावों पर हाउसिंग मिनिस्ट्री गौर करके शीघ्र कार्यवाही करेगी । धन्यवाद ।

SHRI THANGABAALU: (Tamil Nadu): Thank you very much, Madam Deputy Chairman. I am very happy to participate in the debate on this very important Resolution moved by my senior colleague, Shri M. P. Kaushik. You are aware, Madam, that India has made a lot of progress in almost all walks of life after Independence. Though we have made progress in all walks of life, yet we are having people living below the poverty line and about 36 per cent of the people are still below the poverty line. The migration of people from villages to the cities is causing great hardships to them, to the society and to the people who are living in the cities, particularly the major cities like Delhi, Calcutta, Madras and Bombay. Not only that. District headquarters and State headquarters are also facing the same problem. The problems in the villages are not solved in a phased manner and that is why the people are forced to go to other places and to leave their villages. In the villages, Madam, we are not able to give them any facility or create proper conditions of life for them to live happily there. At the same time, I would like to state one thing here. The Minister of State in the Ministry of Industry is also here. Though what I am going to say does not concern him, I hope he will convey this to his senior colleagues in the Government. Now, we are having the system of 'No-Industry Districts'. This policy is not correct. Of course, it was correct in the past, but not now. It is not suited to the present environment and present-day life. A district is a very big, vast area. In Tamil Nadu, there are many districts which need to be developed, which are new, and where facilities are not available to the satisfaction of the people over there. Secondly, since the area is big, we cannot identify the projects according to the level of the area. Particularly my State Government has been asking the Government of India to minimise the district ratio to block ratio. If industrial backwardness has to go, we have to bring this into force. Then only we will be able to bring better utilisation, better facilities, for the villages, particularly the weaker sections, people who are living below the poverty line, majority of them, come under the category of agricultural labour. This area is totally uncovered, totally neglected. There is a saying in Tamil Nadu, which means that the agriculturists are born in poverty, they live in poverty and they die in poverty, because of the conditions not suited to them. That is why migration takes place. They are not able to get proper job opportunities in the villages. So they have to go to a town or to a nearby place where they can get employment. Even when they go to cities, they do not get proper living conditions because the area is such where we cannot provide all the facilities, necessary facilities—housing, electricity, hygienic, healthy conditions. . .

[Shri Thagabaalu]

(*Time bell rings*) Madam, at the time of the Chinese revolution, people were made to go to villages, to develop village industries, develop agriculture, and they were there for 10-15 years—doctors, engineers, educated people. But the unemployed youth, the educated youth, here are bound to go to cities today. Madam, in Madras today 22 lakhs people are living in slums. They do not have the minimum facilities. Last week there was a natural calamity and they were living in water; most of the 22 lakhs of these people were living in water. This is a great problem because of the migration.

My friends have mentioned about cooperative societies as well as Government organisations, that is, Housing Boards, etc., which purchase lands near the towns to meet the needs of the urban people. They purchase it at a very, very low price from the agriculturists. These agriculturists have become orphans. In fact, they are not given alternative site or land to plough. This is another anomaly. Besides, they are given very, very low price, whereas the private owners, the building contractors, builders, who buy it at a low rate sell it and earn more than 200 or 300 per cent profit. Thereby the middleman gets almost all the benefits through this system.

Let me ask the hon. Minister to come with some definite Bill or Resolution in this matter, so that we can help the poor people. They will sell land to the Government and the Government will have to buy at the market rate so that the poor agriculturists are benefited. By and by we can avoid the middlemen who are seeking the maximum benefit out of the poor.

Madam, I don't want to take more time. Lastly, I want to speak a few words about the facilities in the colonies around the cities where the people are not having proper necessities of life, i.e. electricity, water and all these things. The same thing is happening in Delhi, Madras and Calcutta and all the places. Before giving permission to establish colonies, they must ensure that all these facilities are given to them. Otherwise, we are treating them as second-rate and third-rate people. We have to strive hard to see that the entire community lives without any problems. Our leader, Shri Rajiv Gandhi, has been telling the country that we must march forward into the 21st century so that the people may enjoy all the necessities of life or at least the minimum facilities such as food, clothing and accommodation. We must have a proper planning for it and that planning should be able to cater to the needs of the people. The people must live in peace. They must live with dignity. Therefore, I support the Resolution moved by hon. Kaushik Ji. I urge upon the Government to take necessary steps to see that these anomalies are removed so that we are in a position to help our people.

**श्री गुलाम रसूल कार** (नाम निर्देशित) : मुहतरिमा डिप्टी चेयरमैन साहिबा, कौशिक साहिब ने जो रिजोल्यूशन यहां पेश किया है, वक्त के तकाजे के मुताबिक मैं उसका बहुत बड़ा हिदायती हूं। आप जानते हैं कि शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है और गांवों की आबादी कम होती जा रही है। इसके कारण क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? शहरों में बिजली मिलती है, पानी मुहय्या होता है, ट्रांसपोर्ट की सहूलियत है, स्कूलों की तादाद बहुत है। कालेज हैं यूनिवर्सिटीज है। शहरों में कारखाने हैं।

[उपसभाध्यक्ष (श्री जी० स्वामीनाथन्) : पीठासीन हुए]

गांवों के बेकार नवजवान रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ आते हैं। रोजगार मिल जाता है तो वे झोंपड़ी या खोखे की तलाश में रहते हैं और झोंपड़ी या खोखा बनाने की कोशिश करते हैं। शहरों की आबादी जिस तौर-तरीके से बढ़ रही है, लगता है कि आयन्दा आने वाली नस्लों के लिए हमारे शहर खतरे की शक्ल अख्तियार कर लेंगे। शहरों में स्लम्ज की

आबादी बढ़ती जा रही है । इससे हर घर में बीमारी पैदा होगी, टी0 बी0 होगी और लोगों को वक्त के मुताबिक खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा , रोशनी नहीं मिलेगी तालीम नहीं मिलेगी । इस वक्त की हालत के पेशेनजर गांवों के मुकाबले शहरों में ज्यादा सहूलियतें हैं । इसका नतीजा यह हो रहा है कि गांवों के लोगों का रुख शहरों की तरफ है । चाहिये यह था कि गवर्नमेंट प्रोपर प्लानिंग करके, सही मंसूबा बंदी करके आयन्दा आने वाली नस्लों के लिए कुछ आशा बाकी छोड़ देती । लेकिन हेपहजर्ड तरीके से शहरों में कालोनियां तामीर की जाती रही हैं और जो कालोनियां तामीर हो रही हैं उनमें प्रोपर प्लानिंग नहीं है । पांच साल के बाद उनमें भी गन्दी बस्तियां बन जाएंगी । नये मकानात बन जाएंगे, नई दुकानें बन जाएंगी । जो गलत ढंग से तामीर का काम किया जाता है उसको कोई देखता नहीं है । अगर हम दूसरे मुमालिकों को देखें तो यह ठीक है कि हमारे पास जमीन काफी है । लेकिन आबादी जो हमारी है उसमें इजाफा होता जा रहा है । आइंदा 10–20 सालों में एक अरब के करीब हमारी आबादी होगी । नतीजा यह निकला कि न शहरों में आपको रोटी मयस्सर होगी और न देहातों में मयस्सर होगी । न शहरों की हालत अच्छी होगी और न गावों की हालत अच्छी होगी । आइन्दा दस-बीस पच्चीस सालों में जो हालत पैदा होगी उसका नतीजा यह होगा कि एक नया इंक्लाब एक नयी अनारकी पैदा होगी। गांव वाले शहर वालों के खिलाफ होंगे और शहर के लोग गांव वालों के खिलाफ होंगे । चाहिए तो यह था कि एक प्रोपर प्लानिंग के साथ हम अपनी जरूरत को पूरा करते । हमें मकानात के मामले में क्या करना है, क्या हमारी मजबूरियां हैं, कौन सा तबका सोसाइटी में ऐसा है जिनके अपने मकानात हैं और कौन सा तबका ऐसा है जिनके पास मकानात नहीं इसको हमको मालूम मात होनी चाहिए । जिनके पास अपने मकानात हैं वही कोआपरेटिव सोसाइटी आर्गनाइज करके या डी० डी० ए० में जाकर प्रापर्टी या फ्लैट हासिल करते हैं । कोई फनकार के नाम पर, कोई जर्नलिस्ट के नाम पर वसूल करता है तो कोई सरकारी मुलाजिम होने के नाते फ्लेट वसूल करता है, जमीन हासिल करता है । अब शहरों के इर्दगिर्द कारखाने भी उभर रहे हैं और इसका नतीजा यह होता है कि पोल्यूशन पैदा होता है । जब गुंजान आबादी पैदा होती है तो पोल्यूशन पैदा होता है । जो कारखाने हैं वे गांव वालों के लिये एक अट्रेक्शन भी बनते हैं, शहरों की तरफ आने के लिये मुझे बाहर जाने का मौका मिला है, मास्को जाने का, लेनिनग्राद जाने का, ताशकंद जाने का बुखारेस्ट जाने का, वहां एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए परमिट लेना पड़ता है । मुझे ऐसा जान पड़ता है कि शायद उनके मशायल भी ऐसी ही है । वे गांव के लोगों को शहर में जाने नहीं देते और एक शहर के लोगों को दूसरे शहर में जाने नहीं देते । इसके लिये उन पर पाबन्दियां हैं । दरअसल बात यह है कि अगर शहर में ज्यादा सहूलियतें होंगी तो गांव के लोग शहर में आ जायेंगे और अगर शहर में तकलीफ होगी, वहां खाना नहीं होगा, जगह नहीं होगी तो शहर के लोग गांवों में जाने की कोशिश करेंगे । लेकिन यहां कोई प्लानिंग नहीं है । प्लानिंग प्रोपर न होने के कारण लोगों को जमीन दे दी जाती है । होना तो यह चाहिए कि हम कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा फ्लैट बनायें । आप होटलों को लें । 1 हजार डेढ़ हजार कमरों के होटल हैं । आप ऐसा तरीका सोचें जिससे कम से कम जमीन में अधिक से अधिक फ्लैट बन सकें ताकि वहां पर डेढ़-दो हजार लोगों को फ्लैट मिल सकें । आप दूसरे मुमालिक से सबक हासिल करें । आप मास्को जायें, लंदन जायें, न्यूयार्क जायें, जहां-जहां उन लोगों ने अपनी मकानात की प्राबलम को हल कर दिया है । इसके लिये वाजाफ्ता एक सर्वे होना चाहिए । आखिर में आपका एक वन्सैपशन है स्वस्थ्य सोसायटी पैदा करने का । आप इसको कैसे करेंगे जब तक कि आम आदमशुमारी नहीं करेंगे । आपको पता नहीं है कि दिल्ली में कितने लोग बेकार हैं, दिल्ली में कितने मकानात की जरूरत है, कितने पानी की जरूरत है, आपको

[श्री गलाम रसूल कार]

पता ही नहीं है कि कालेजों और यूनिवर्सिटीयों में किन लोगों को जाना है । थर्ड क्लास पास लोग यूनिवर्सिटियों में जाते हैं । आपने कितने इंजीनियर पैदा करने हैं, कितने डाक्टर पैदा करने हैं यह भी आपको पता नहीं है कितनी जरूरत है। डाक्टर पैदा हो रहे हैं, इंजीनियर पैदा हो रहे हैं, क्लर्क पैदा हो रहे हैं और उनको हर रोज मकानात की जरूरत पड़ती है और वे मकान मांगते हैं । लिहाजा एक प्रापर प्लानिंग हो । यह जरूरी नहीं है कि बड़े शहरों, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, बंगलौर, मद्रास के लिये हो यह हो बल्कि यह हर गांव के लिए होना चाहिए । यह जरूरी नहीं कि आप पांच साला प्लान में मकानात बनायें, इसकी 20–25 साल के लिये प्लानिंग बनायें कि हमने दिल्ली में इतने मकानात तामीर करके बनाने हैं । यह पांच साल के अन्दर नहीं होगा, इसमें कई साल लगेंगे । आप अरबन डेवलपमेंट मिनिस्टर साहब यह देखेंगे कि जो मकान आप बनाते हैं लोग वहां भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं । प्राइम मिनिस्टर साहब की कोठी के पास मुझे भी कोठी अलाट हुई है, वहां पर भी मकानात तामीर हुए हैं और वहां उन्होंने जो नौकर रखे हैं वे वहां भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं । केवल इतना ही नहीं कई लोग सड़कों पर खोखा बना लेते हैं, दुकान तामीर कर लेते हैं। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि एक प्रापर प्लानिंग के साथ 20–25 साल की प्लान पर विचार करें कि इस समय में हमने इतने फ्लैट्स बनाने हैं, हमने इतने कारखाने बनाने हैं । जो ये कारखाने बनते हैं इनका असर गांव के किसानों पर पड़ता है । जिसके ज़रिया-ए-माश के लिये कुछ कनाल जमीन बाकी रहती है वह उसमें गेहूं, चावल, अनाज पैदा करता है । जो उसका एरिया ए-माश है उसकी जिन्दगी का बाकी असासा होता है उस पर आप कब्जा करते हैं । उसको रुपया देते हैं वह उस रुपये का सही या गलत इस्तेमाल करता है **(व्यवधान)**

†[شری غلام رسول کار (نامزد) :

جناب محترمہ ڈپٹی چیرمین صاحبہ کوشک صاحب نے جو ریزولوشن یہاں پیش کیا ھے - وقت کے تقاضے کے مطابق میں اس کا بہت بڑا حمایتی ہوں - آپ جانتے ھیں کہ شہروں کی آبادی بڑھتی جا رھی ھے اور گاؤں کی آبادی کم ھوتی جا رھی ھے - اس کے کارن کیا ھیں- اسکی وجوھات کیا ھیں- شہروں میں بجلی ملتی ھے - پانی مہیا ھوتا ھے - ٹرانسپورٹ کی سہولیت ھے اسکولوں کی تعداد بہت ھے - کالج ھیں - یونیورسٹیز ھیں - شہروں میں کارخانے ھیں -

[اپ سبھا ادھیکش (شری جی- سوامی ناتھن) پیٹھ آسین ھوئے)

گاؤں کے بیکار نوجوان روزگار کی تلاش میں شہروں کی طرف آتے ھیں روزگار مل جاتا ھے - تو وہ جھونپڑی یا کھوکھے کی تلاش میں رھتے ھیں اور جھونپڑی یا کھوکھا بنانے کی کوشش کرتے ھیں - شہروں میں آبادی جس طور طریقہ سے بڑھتی ھے لگتا ھے کہ آنے والی نسلوں کیلئے ھمارے شہر خطرے کی شکل اختیار کر لینگے - شہروں میں سلم کی آبادی بڑھتی جا رھی ھے - اس سے ھر گھر میں بیماری پیدا

†[ ]Transliteration in Arabic Script.

کی حالت اچھی ہوگی اور نہ گاؤں کی حالت اچھی ہوگی - آئندہ دس بیس پچیس سالوں میں جو حالت پیدا ہوگی اسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک نیا انقلاب ایک نئی انارکی پیدا ہوگی - گاؤں والے شہروں والوں کے خلاف ہونگے - اور شہر کے لوگ گاؤں کے خلاف ہونگے - چاہئے تو یہ تھا کہ ایک پروپر پلاننگ کے ساتھ ہم اپنی ضرورت کو پورا کرتے - ہمیں مکانات کے معاملے میں کیا کرنا ہے - کیا ہماری مجبوریاں ہیں - کون سا طبقہ ایسا ہے جنکے پاس مکانات نہیں ہیں اسکی ہمکو معلومات ہونی چاہئے - جنکے پاس اپنے مکانات ہیں - وہیں کوآپریٹو سوسائٹی آرگنائیج کرکے یا ڈی - ڈی - اے - میں جاکر پروپرٹی یا فلیٹ حاصل کرتے ہیں - کوئی فلکار کے نام پر - کوئی جرنلسٹ کے نام پر وصول کرتا ہے - تو کوئی سرکاری ملازم ہونے کے ناطے سے فلیٹ وصول کرتا ہے - زمین حاصل کرتا ہے - اب شہروں کے ارد گرد کارخانے بھی ابھر رہے ہیں - اور اسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پالیوشن پیدا ہوتا ہے - جب گنجان آبادی پیدا ہوتی ہے تو پالیوشن پیدا ہوتا ہے - جو کارخانے ہیں وہ گاؤں والوں کیلئے ایٹریکشن بھی بنتے ہیں - شہروں کی طرف آنے کیلئے - مجھے باہر جانے کا موقع

ہوگی - ڈی - بی - ہوگا اور لوگوں کو وقت کے مطابق کھانا نہیں ملیگا - پانی نہیں ملیگا - روشنی نہیں ملیگی - تعلیم نہیں ملیگی - اس وقت کی حالات کے پیش نظر گاؤں کے مقابلے میں شہروں میں زیادہ سہولیتیں ہیں - اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ گاؤں کے لوگوں کا رخ شہروں کی طرف ہے - چاہئے یہ تھا کہ گورنمنٹ پروپر پلاننگ کے - صحیح منصوبہ بندی کرکے آنادہ آنے والی نسلوں کیلئے کچھ اثاثہ باقی چھوڑ دیتی - لیکن ہیپھزرڈ طریقے سے شہروں میں کالونیا تعمیر کی جاتی رہی ہیں - اور جو کالونیاں تعمیر ہو رہی ہیں انمیں پروپر پلاننگ نہیں ہے - پانچ سال کے بعد انمیں بھی گندی بستیاں بن جائینگی - نئے مکانات بن جائینگے - نئی دکانیں بن جائینگی جو غلط ڈھنگ سے تعمیر کا کام کیا جاتا ہے - اسکو کوئی دیکھتا نہیں ہے - اگر ہم دوسرے ملکوں کو دیکھیں تو یہ ٹھیک کہ ہمارے پاس زمین کافی ہے - لیکن آبادی ہماری جو ہے اسمیں اضافہ ہوتا جا رہا ہے - آئندہ ۱۰-۲۰ سالوں میں ایک ارب کے قریب ہماری آبادی ہوگی - نتیجہ یہ نکلیگا - کہ نہ شہروں میں آپکو روٹی میسر ہوگی اور نہ دیہاتوں میں ہوگی - نہ شہروں

جائیں - جہاں جہاں ان لوگوں نے اپنی مکانات کی پرابلم کو حل کر دیا ہے اسکے لئے باضابطہ ایک سروے ہونا چاہئے - آخر میں آپ کا ایک کنسیپشن ہے سوستھ سوسائٹی پیدا کرنے کا - آپ اسکو کیسے کریںگے جب تک عام آدم شماری نہیں کریںگے - آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دلی میں کتنے مکانات کی ضرورت کتنے پانی کی ضرورت ہے - آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کالجوں یونیورسٹی میں ان لوگوں کو جانا ہے - تھرڈ کلاس پاس لوگ یونیورسٹی میں جاتے ہیں - آپ نے کتنے انجینیئر پیدا کرتے ہیں آپ نے کتنے ڈاکٹر پیدا کرتے ہیں - یہ بھی آپکو پتہ نہیں ہے - کہ کتنی ضرورت ہے - ڈاکٹر پیدا ہو رہے ہیں - انجینیئر پیدا ہو رہے ہیں - کلرک پیدا ہو رہے ہیں - اور انکو ہر روز مکانات کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ مکان مانگتے ہیں - لہذا ایک پراپر پلاننگ ہو - یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑے شہروں میں کلکتہ - بمبئی - دلی - بنگلور - مدراس کے لئے ہی یہ ہو بلکہ ہر گاؤں کیلئے یہ ہونی چاہئے - اسکی ۲۰-۲۵ سال کیلئے پلاننگ بنائیں کہ ہم نے دلی میں اتنے مکانات تعمیر کرکے بنانے ہیں - یہ پانچ سال کے اندر نہیں ہوگا - اسمیں کئی سال لگیںگے - آپ

[شری غلام رسول کار]

ملا ہے ماسکو جانے کا - لیننگراد جانے کا - تاشقند جانے کا - بخاریست جانے کا - وہاں ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کیلئے پرمٹ لینا پڑتا ہے - مجھے ایسا جان پڑتا ہے کہ شاید انکے مسائل بھی ایسے ہی ہوں - وہ گاؤں کے لوگوں کو شہر میں جاتے نہیں دیتے اور ایک شہر کے لوگوں کو دوسر شہر میں جانے نہیں دیتے - اسکے لئے ان پر پابندیاں ہیں - دراصل بات یہ ہے کہ اگر شہروں میں زیادہ سہولیت ہوگی تو گاؤں کے لوگ شہر میں آئینگے - اور اگر شہر میں تکلیف ہوگی وہاں کھانا نہیں ہوگا - جگہہ نہیں ہوگی تو شہر کے لوگ گاؤں میں جانے کی کوشش کرینگے - لیکن یہاں کوئی پلاننگ نہیں ہے پلاننگ پراپر نہ ہونے کارن لوگوں کو زمین دے دی جاتی ہے - ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ ہم کم زمین میں زیادہ سے زیادہ فلیٹس بنائیں - آپ ہوٹلوں کو لیں - ایک ہزار ڈیڑھ ہزار کمروں کے ہوٹل ہیں - آپ ایسا طریقہ سوچیں جس سے کم سے کم زمین میں زیادہ سے زیادہ فلیٹس بن سکیں تاکہ وہاں پر ڈیڑھ ہزار دو ہزار لوگوں کو فلیٹ مل سکیں - آپ دوسرے ممالک سے سبق حاصل کریں - آپ ماسکو جائیں - لندن جائیں - نیویارک

اربن ڈیولپمنٹ منسٹر صاحب یہ دیکھیں کہ جو مکان آپ بناتے ہیں لوگ وہاں بھینس پالتے ہیں - گائے پالتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کی کوٹھی کے پاس مجھے کوٹھی الاٹ ہوئی ہے- وہاں پر بھی مکانات تعمیر ہوئے ہیں - اور وہاں انہوں نے جو نوکر رکھیں ہے وہ وہاں بھینس پالتے ہیں - گائے پالتے ہیں - کیوں اتنا ہی نہیں کئی لوگ سڑکوں پر کھوکھا بنا لیتے ہیں - دکان تعمیر کر لیتے ہیں لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ ۲۰-۲۵ سال کی پلان پر وچار کریں کہ اس وقت میں ہم نے اتنے فلیٹس بنانے ہیں - ہم نے اتنے کارخانے بنانے ہیں - جو یہ کارخانے بنتے ہیں اس کا اثر گاؤں کے کسانوں پر پڑتا ہے - جسکے ذریعہ معاش کیلئے کچھ کنال زمین باکی رہتی ہے وہ اس میں کیوں چاول اناج پیدا کرتا ہے - جو اسکا ذریعہ معاش ہے اسکی زندگی کا باقی اثاثہ ہوتا ہے - اس پر آپ قبضہ کرتے ہیں - اسکو روپیہ دیتے ہیں - وہ اس روپئے کا صحیح یا غلط استعمال کرتا ہے] .. (مداخلت)..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Hon. Members are not supposed to read newspapers in the House. (*Interruptions*).

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY (Andhra Pradesh): He can read papers regarding the subject.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Let him say that.

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, the convention of this House and the Parliamentary practice is that any paper above this level cannot be read. But anything below this level can be read. That is the convention. You refer to Shakdher and Kaul or May's Parliamentary Practice. It is given there.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): But I have been seeing the paper above the table. If it had been below the table, I would not have seen it.

SHRI A. G. KULKARNI: All right, I shall read like this.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): I was able to see the paper. You are a senior Member.

SHRI A. G. KULKARNI: No question of senior or junior. The right of every small Member is there.

श्री गुलाम रसूल कार : जनाबेवाला, मैं अर्ज कर रहा था कि जरूरत इस बात की है कि बड़े बड़े शहरों के लिए और छोटे शहरों के लिए एक प्रोपर प्लानिंग हो । हमें यह देखना चाहिये कि शहरों की आबादी अपने तौर पर बढ़ती जा रही है । हमें दिन रात गिरजा कैसे मिलती है, गोश्त मिलत

[श्री गुलाम रसूल कार]

है, विटामिन मिलते हैं लेकिन आपको प्रोपर प्रायरीटीज प्लानिंग की नहीं है । अब आप फैमली प्लानिंग को ही ले लीजिए । क्या इससे आबादी कम हो जाएगी । मैं मैम्बर्ज आफ पार्लियामेंट से पूछना चाहता हूं । आप प्रोपेगंडा करते हैं कि फैमली प्लानिंग होनी चाहिए, लेकिन आप में से कितने लोगों ने फैमली प्लानिंग किया सिर्फ नारा और प्रोपेगंडा लेकिन खुद अमल हमें कुछ नहीं है । मैं अपने तौर से कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों की तरफ इशारा नहीं करता हूं । जरूरत इस बात की है कि हमें खुद अमल बनना चाहिए । हमारा सोशल परपज क्या है, हमारी सोशल सर्विस क्या है । एक मैम्बर आफ पार्लियामेंट आता है उसको यह समझना चाहिए कि मेरी सोशल जिम्मेदारी क्या है, सोशल परपज क्या है, मेरी सोशल मजबूरी क्या है । मेरी सोसाइटी की आबादी बढ़ती जा रही है । यह महज मकानियत का सवाल नहीं है, तालीम का सवाल है, पानी का सवाल है, बिजली का सवाल है, नौकरी का सवाल है, सेहत का सवाल है, लिहाजा मैं अरबन डवलपमेंट मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि महज रुपया रखने से कि अरबन डवलपमेंट के लिए इतना रुपया रख दिया इससे कुछ नहीं होगा मैं तो यह चाहता हूं कि पहले इसके लिए प्रोपर सर्वे होना चाहिए । आपके पास कितने लोग हैं जिनके अपने मकानात हैं कितने लोग हैं जिन्होंने नये प्लाट ले लिये हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने किराये पर दे दिये हैं । आज ही हाउस में सवाल आ गया था, हमारे तीन हजार ज्यूडिशियरी के और लेजिस्लेटर है, प्रेस वाले हैं, अगर किसी साथी ने प्लाट ले लिया है मकान तामीर कर लिया है अगर अपना मकान बनाने के बाद सरकारी फ्लैट नहीं छोड़ते हैं तो दूसरों के लिए क्या नक्शा उभरता है । दूसरे पर असर होगा ? अगर एक एम० पी० है वह अपने फ्लैट को किराये पर देता है और खुद सरकारी फ्लैट में रहता है, खुद अपना मकान बनाने के बाद सरकारी फ्लैट किराये पर देता है तो सोसायटी पर इसका क्या असर पड़ता है ? यह दोनों तरफ है । लिहाजा मेरी गुजारिश है कि प्रोपर प्लानिंग के साथ सर्वे होना चाहिए । दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई जैसे बड़े शहरों का सर्वे कराना चाहिए जिन शहरों की आबादी 10 लाख से ऊपर है उनका फोरी सर्वे होना चाहिए और इनके लिए एक प्रोपर मास्टर प्लान बनाया जाना चाहिए । जिसमें यह देखा जाना चाहिए कि कितने पार्कों की जरूरत है, कितने मदरसों की जरूरत है, गुंजानआबादी को कैसे हटा कर नये तरीके पर साइंटिफिक तरीके पर 10 तबकों के लिए 20 तबकों के लिए फ्लैट तामीर करें जिनमें एक डेढ़ हजार घराने आबाद हों । आप तो एक एक कनाल जमीन एक घर को दे देते हैं उसका यह नतीजा निकलेगा कि इससे आबादी फैलती जाएगी, गांवों की तरफ, राजस्थान की तरफ दिल्ली की तरफ और दिल्ली बढ़ती जाएगी और आपकी गिजाई हालत कम होती जाएगी । यह कहते हुए मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि आपको यह भी देखना चाहिए कि जो आपके तामीरात है उन तामीरात की सही तौर पर निगहेदाश्त कैसे हो सकती है । महज यह कहना कि पैसे सीमेंट रेत नहीं मिल रहे हैं यह प्रापर तरीका नहीं है । असेसमेंट करने का तरीका यह है कि . . .

†[شری غلام رسول کار : جناب والا - میں عرض کر رہا تھا کہ

†[ ]Trasliteration in Arabic Script.

میری سوسائٹی کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے- یہ محض مکانات کا سوال نہیں ہے - تعلیم کا سوال ہے - پانی کا سوال ہے - بجلی کا سوال ہے - نوکری کا سوال ہے صحت کا سوال ہے - لہذا میں اربن ڈیولپمنٹ منسٹر صاحب سے گزارش کرونگا کہ محض روپیہ رکھنے سے کہ اربن ڈیولپمنٹ کے لئے اتنا روپیہ رکھدیا ہے - اس سے کچھ نہیں ہوگا - میں تو یہ چاہتا ہوں کہ پہلے اسکے لئے پراپر سروے ہونا چاہئے - آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں جنکے اپنے مکانات ہیں - کتنے لوگ ہیں جنھوں نے نئے پلاٹ لے لئے ہیں - کتنے لوگ ہیں جنھوں نے کرائے پر دیدئے ہیں آج ہی ہاؤس میں سوال آ گیا تھا ہماری تین ہزار جیوڈیشیری کے اور لیجسلیٹر ہیں - پریس والے ہیں - اگر کسی ساتھی نے پلاٹ لے لیا ہے مکان تعمیر کر لیا ہے - اگر اپنا مکان بنانے کے بعد سرکاری فلیٹ میں رہا ہے خود اپنا مکان بنانے بعد سرکاری فلیٹ کرائے پر دیتا ہے تو سوسائٹی پر اسکا کیا اثر پڑتا ہے - یہ دونوں طرف ہے - لہذا میری گزارش یہ ہے کہ پراپر ضرورت اس بات کی ہے کہ بڑے بڑے شہروں کے لئے اور چھوٹے شہروں کیلئے ایک پراپر پلاننگ ہو - ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ شہر کی آبادی اپنے طور پر بڑھتی جا رہی ہے - ہمیں دن رات غذا کیسے ملتی ہے- کوشت ملتا ہے - وٹامن ملتے ہیں لیکن آپ کی پراپر پرائرٹیز پلاننگ کی نہیں ہے اب آپ فیملی پلاننگ کو ہی لے لیجئے کہا اس سے آبادی کم ہو جائیگی - میں ممبرس آف پارلیمنٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں - آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ فیملی پلاننگ ہونی چاہئے - لیکن آپ میں سے کتنے لوگوں نے فیملی پلاننگ کیا - صرف نعرہ اور پروپیگنڈہ - لیکن خود عمل ہمیں کچھ نہیں ہے- میں اپنے طور پر کہنا چاہتا ہوں - میں آپ لوگوں کی طرف سے اتارہ نہیں کرتا ہوں - ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں خود عامل بننا چاہئے - ہمارا سوشل پریز کیا ہے - ہماری سوشل سروس کیا ہے - ایک ممبر آف پارلیمنٹ آتا ہے اسکو یہ سمجھنا چاہئے کہ میری سوشل ذمہ داری کیا ہے - سوشل پریز کیا ہے - میری سوشل مجبوری کیا ہے-

[شری غلام رسول کار]

پلاننگ کے ساتھ سروے ہونا چاہئیے - دلی کلکتہ - بمبئی جیسے بڑے بڑے شہروں کا سروے کرانا چاہئیے جن شہروں کی آبادی ۱۰ لاکھ سے اوپر ہے انکا فوری سروے ہونا چاہئیے اور انکے لئے ایک پراپر ماسٹر پلان بنانا چاہئیے - جس میں یہ دیکھا جانا چاہئیے کہ کتنے پارکوں کی ضرورت ہے کتنے مدرسوں کی ضرورت ہے - گنجان آبادی کو کیسے ہٹاکر نئے طریقے سے سائنٹفک طریقے پر ۱۰ طبقوں کیلئے - ۲۰ طبقوں کیلئے - فلیٹ تعمیر کریں جن میں ایک ڈیڑھ ہزار کھرانے آباد ہوں -

آپ تو ایک ایک کنال زمین ایک کھر کو دیتے ہیں اسکا نتیجہ یہ نکلے گا - اس سے آبادی پھیلتی جائیگی - گاؤں کی طرف - راجستھان کی طرف - دلی کی طرف اور دلی بڑھتی جائیگی - اور آپکی غذائی حالت کم ہوتی جائیگی - یہ کہتے ہوئے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپکو یہ بھی دیکھنا چاہئیے کہ جو آپکے تعمیرات ہیں ان تعمیرات کی صحیح طور پر نگہداشت کیسے ہو سکتی ہے - محض یہ کہنا کہ پیسے سیمنٹ ریت نہیں مل رہے ہیں یہ پراپر طریقہ نہیں ہے - اسیسمنٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ....]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Hon. Minister, Shri Dalbir singh may like to intervene of a few minutes later on, the hon. Member can continue.

श्री गुलाम रसूल कार : मैं इतना ही कहते हुए इस रिजोल्यूशन को पुरजोर ताईद करता हूं ।

[شری غلام رسول کار : میں اتنا ہی کہتے ہوئے اس رزولیوشن کی پر زور تائید کرتا ہوں -]

SHRI VIRENDRA VERMA (Uttar Pradesh): I have also given my name.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G SWAMINATHAN): Yes, but after the Minister has intervened.

SHRI VIRENDRA VERMA: But he will reply only after we have spoken.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): There is no reply from the Minister; it is only the intervention. The reply will be by the mover.

SHRI VIRENDRA VERMA: Let me speak for five minutes only and the Minister can reply. I will take only five minutes.

†[ ]Transliteration in Arabic Script.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): As I said, the Minister will only intervene. The reply will be by the mover. He wants to intervene at 4-30. In the Private Member's Resolution, there is only intervention by the Minister, not the reply.

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : मान्यवर, जो कौशिक जी प्रस्ताव लाये थे इसकी तो आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा इसी मुद्दे पर इसी सदन में चर्चा हो चुकी है ।

मान्यवर, अरबन एरियाज की आबादी जो 1971 में 107 मिलियन थी वह बढ़कर 1981 में लगभग 160 मिलियन हो गयी और पहले जो एक लाख की आबादी वाले शहर थे जिनकी संख्या 145 थी वह बढ़कर 216 हो गयी है । इसी तरह से जो हमारी मेट्रोपोलिटन सिटीज हैं जिनकी संख्या 9 थी वे अब 12 हो गयी हैं । मुख्य मुद्दा जो एक माननीय सदस्य ने सदन में उठाया है कि गावों से शहरों की ओर लोग क्यों आ रहे हैं तो इसके लिए भी मान्यवर, हमारे मंत्रालय ने समय समय पर सारे राज्यों से मेयर साहबनों और कन्सर्न्ड मिनिस्टर्स की यहां पर कान्फरेंसेज की हैं । उनकी तरफ से भी सुझाव आये हैं । मैं यह मानता हूं कि यह एक अहम सवाल है । आज अरबन एरिया में जो हम देखते हैं कि मैट्रोपोलिटन सिटीज हैं जो अरबन आबादी है उसका 27 परसेंट लगभग मैट्रोपोलिटन सिटीज में रह रहा है ।

जहां तक माननीय सदस्यों के सुझाव आये हैं बराबर शासन उस पर ध्यान देगा । इसी के तारतम्य में मैं कहूंगा कि शासन ने 1979–80 में जो छोटे शहरों के लिये योजना बनाई इन्टेग्रेटेड डेवलपमेंट इन स्माल एंड मीडियम टाउन्स इसमें जी एक लाख की आबादी से कम के शहर हैं अथवा जहां आबादी एक लाख तक है, छठी पंचवर्षीय योजना में यूनियन टेरीटरीज और स्टेट्स के ऐसे 235 शहरों को इसमें शामिल किया गया था । अभी 7वीं पंचवर्षीय योजना में भी यह एक महत्वपूर्ण योजना है । माननीय संसद सदस्यों और राज्य शासन की ओर से भी इस योजना के लिये पहल की जा रही है । अभी 7वीं पंचवर्षीय योजना में हमने 102 शहरों को इनमें शामिल किया है और लगभग 88 करोड़ रुपया इसमें खर्च किया गया है । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो लोग गांवों से, छोटे शहरों से, कस्बों से आ रहे हैं उनको रोकना है । तो हमारी जो स्कीम्स हैं, प्लानिंग्स हैं उनमें छोटे शहरों का विकास हो, अच्छे शापिंग सेंटर्स हों, अनइम्प्लायड यूथस को रोजगार वहां पर मिले, अच्छा पीने का पानी मिले, इन्वायरनमेंटल स्कीम्स वहां पर अच्छी हों, इन सारे मुद्दों को लेकर आई डी एस एम टी की योजना को हम चालू कर रहे हैं । न केवल इतना ही बल्कि 1987 का वर्ष हम एक अन्तर्राष्ट्रीय आश्रय वर्ष के रूप में मना रहे हैं । हमारे सम्माननीय सदस्यों की भावनायें हैं कि वीकर सेक्शन के जो लोग हैं इनको आवास की कमी रहती है । संयुक्त राष्ट्र सभा की भी गाइडलाइंस आई हैं । उनको हिन्दुस्तान ने भी माना है । इसमें यहां पर एक सम्मेलन हुआ था सारी एशियन कंट्रीज के लोग आये थे, डेलीगेटस भी आये थे तो यह न केवल हमारे हिन्दुस्तान की समस्या है । बल्कि आज तीनचौथाई जो हमारे विश्व में ऐसे देश हैं, उनकी जो समस्या है आज शहर की, वहां पर भी है । कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, लेकिन मान्यवर, जो हमारे कौशिक जी ने इसमें दो-तीन बातों के लिये उन्होंने इंगित किया है, खास करके उन्होंने कहा है कि इसमें जो लैंड एक्वीजीशन भी किया जाता है काश्तकारों का, वह भी एग्रीकल्चरल लैंड होता है और इसमें अर्बन सीलिंग एक्ट का भी उन्होंने जिक्र किया है ।

[श्री दलबीर सिंह]

मान्यवर, शासन की ऐसी नीति नहीं है कि हम एग्रीकल्चरल लैंड को इसमें लें या एक्वायर करें और जहां तक माननीय सदस्यों को शायद कनफ्यूजन हो, तो अर्बन सीलिंग एक्ट अलग है । उस अर्बन सीलिंग में एग्रीकल्चरल लैंड नहीं आता है और एग्रीकल्चरल सीलिंग का एक्ट जो है, वह अलग है । तो इसको मैं जाहिर करना चाहता हूं, और जहां तक उन्होंने दूसरे मुद्दों का, लाल डोरे का सवाल उठाया, हम मानते हैं कि जो गांव हैं और उनकी आबादी है, पहले कम थी, अब बढ़ रही है, लेकिन जहां तक शासन का संबंध है, पूरा-पूरा ख्याल रखा जाता है और हम उसमें पूरा ध्यान रखते हैं उस पेरीफरी में कि जो उनके पशुओं के क्रीमेशन ग्राउन्डस या उनके गऊधान ने और उनके आम विस्तार की जो जमीन है, उसको भी हम एक्वायर नहीं करते हैं और इसमें यह भी कहा गया है कि प्राइवेट जो ओनर्ज हैं, वह प्लाटस सस्ती दरों पर देते हैं, बनिबस्त डी. डी. ए. के ।

मान्यवर, इसमें मैं इसलिए ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारी जो डेवेलपमेंट की कास्ट है, जो प्राइवेट लैंड है, वह जैसी जमीन है वह उसी तरह से दूसरे लोगों को बेच देते हैं और मकान बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो डी० डी० ए० काम करता है, उसमें डेवलेपमेंट कास्ट में हमारी रोडस भी आएंगी, इलेक्ट्रिसिटी भी आएगी, सीवेज आएगा, ड्रिंकिंग वाटर आएगा, यह सभी चीजें जब हम मुहैया कराते हैं, तब हम मानते हैं कि हमारा जो एरिया है वह डेवेलप्ड माना गया है । इसलिए ऐसा कुछ नहीं है । हम तो नो-प्राफिट, नो-लास में यह जो हमारी योजना है डी.डी.ए. की, यह हम देते हैं ।

यहां पर जो यह सवाल आया है और यहां पर यह भी कहा गया है — इसलिए सत्यपाल मलिक जी ने जो सदन का ध्यान आकर्षित किया है, जहां तक एन०सी०आर० का प्रश्न है, उन्होंने कहा कि इस दिल्ली शहर को एक प्रशासनिक दृष्टिकोण से और जितनी आवश्यकता है, उस तरह से इसको बनाये रखना है। इसी तारतम्य में, मान्यवर, हमारी जो नेशनल कैपिटल रीजन की आवश्यकता हुई कि इससे लगे हुए हमारे जो राज्य हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इसमें हम इसको वृहद रूप में इसको बढ़ायें और जो अमेनिटीज दिल्ली में है यहां, हम वहां पर दें, चाहे ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, उद्योग का हो, यहां तमाम चीजें हैं और बड़ी इंडस्ट्रीज हैं । उनका भी यहां पर प्रस्ताव है और जो एन०सी०आर० की मीटिंग्ज हुई हैं, उसमें भी इसे ध्यान में लाया गया है कि जितनी औद्योगिक संस्थाएं जो चाहे बड़ी हों यहां पर, चाहे वह पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज के भी कुछ यहां पर जो संस्थान हमारे यहां काम कर रहे हैं, उनको भी दूर हमको ले जाना है । इसलिए कि आज यहां पर ट्रांसपोर्ट को भी और वातावरण को भी और, मान्यवर, इसी सदन में माननीय सांसदों ने भी कहा कि इसी दिल्ली के अंदर गाड़ियां चलती हैं, इतना धुआं-धक्कड़ होता है, उससे पर्यावरण पर बहुत बुरा असर होता है ।

इन तमाम चीजों को देखकर जो हमारा एन० सी० आर० का प्लानिंग है और सातवीं पंच वर्षीय योजना में इसके लिए 35 करोड़ रुपये की एक योजना है। लेकिन हमें इस सातवीं योजना में लगभग 868 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इसी दृष्टिकोण को देखते हुए फिर से हम प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी पहल कर रहे हैं यदि हमें यह राशि ज्यादा आबंटित हो जाती है, तो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंटस कनसर्ड हैं, उनके साथ मिल कर, यह जो हमारी एन.सी.आर. की योजना है, इसको हम लागू करें और इतना नहीं मान्यवर, जहां तक सम्माननीय सदस्यों का कहना है कि चाहे वह दिल्ली हो, अथवा कोई भी राज्यों की जो शहर से लगी हुई जमीनें हैं और खास करके जो एग्रीकल्चर जमीनें हैं, खेती के लायक जमीनें हैं,

उनके लिए अभी सम्माननीय प्रधानमंत्री जी की देखरेख में एक कमीशन कार्यरत है और उसमें कनसर्ड चीफ मिनिस्टर बुलाये गये हैं। उसमें साफ यह कहा गया है कि जो भी एग्रीकल्चर लैंड होगी, वह एक्वायर नहीं होगी। इसमें साथ ही यह भी कहा गया है कि ;

The recent decision of the high-powered National Land Use Commission under the Prime Minister, of which Chief Ministers of the States and Union Territories are members, is that no agricultural land from the urban fringe would be taken over for urbanisation.

इसमें यह स्पष्ट किया गया है और इसमें यह भी सीधे राज्य सरकारों को निर्देश किए गए हैं और इसमें केन्द्र की भी इसलिए जिम्मेदारी है कि कि हम बराबर समय-समय पर स्टेट गवर्नमेंटस को, यूनियन टैरीटरीज को गाइड लाइन्ज़ भेजते रहते हैं कि दिस इज़ आलसो ऐ स्टेट सब्जैक्ट। वहां भी यह देखना है कि स्टेट को अथवा जो-जो हमारे संबंधित राज्य हैं उनको भी समय-समय पर गाइडलाइन्ज़ जाती है और जमीनों की कीमत न बढ़े और खास कर वीकर सैक्शन्ज़ के लोगों को इसमें ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया करा सकें। जहां तक जो सम्माननीय सदस्यों ने कहा कि बाहर से बहुत से लोग आते हैं और यहां पर अनआथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो जाती है, सारे स्लमज यहां निर्माण कर लेते हैं इसके लिए भी शासन ने एक योजना 1972 में बनाई और इसमें न केवल बल्कि पहले जो हमारे सिक्सथ फाइव ईयर प्लान में पर कैपिटा जिनको राशि 250/- रूपये देते थे उसको सातवीं योजना में तीन सौ रुपये बढ़ा दिया है। हम यही कोशिश करते हैं कि गांवों से शहर की और कम लोग आयें। इसी के साथ माननीय सदस्यों ने जो हमारे अर्बन से संबंधित नहीं था लेकिन जो हमारा रुरल डिवैलमेंट है उस ओर भी उन्होंने ध्यान आर्कषित किया है। इसके लिए भी हमारी इंदिरा आवास योजना है, 20 प्वायंट प्रोग्राम है और इकोनोमिकली जो वीकर सैक्शन्ज़ है उसके लिए भी शासन बराबर ध्यान दे रहा है। इतना ही नहीं जो हमारे मंत्रालय से संबंधित हुडको है यह गरीब लोगों को खास करके हम हर राज्य में हर यूनियन टैरेटरी में राज्य शासन से भी जो योजनाएं आती हैं बराबर इसके द्वारा फाइनांस करते हैं। पहले जो लोग शहरों में रहते थे जिनकी आमदनी 350/- रुपये माहवार थी इकनोमिकली वीकर सैक्शन्ज़ के लिए उनको तीन हजार रुपये यहां पर हम फाइनांस मुहैया करते थे उसको डबल करके हमने 6 हजार किया है। हम बहुत कम ब्याज पर लगभग पांच परसेंट ब्याज पर यह राशि देंगे और बीस-बाइस साल में ऋण अदा करेंगे। इसी तरह से एल.आई.जी. का है जिन की आमदनी 700 रुपये थी उनको 1500 हमने कर दिया। जो हमारी सीलिंग कास्ट एल.आई.जी. की है उसमें 40 हजार आती है उसमें 23 हजार हम डायरेक्ट लोन दे देते हैं। इसमें भी 9 परसेंट से कम ब्याज आता है। जो यहां पर हाउसिंग का सब्जैक्ट है, हर किसी ने महसूस किया माननीय सदस्यों ने भी किया होगा और हमारे मंत्रालय ने भी और इसके लिए एक प्रस्ताव भी हमने अभी किया है कि हमारे अलग से बैंक होने चाहिए अर्बन हाउसिंग बैंक जो डायरेक्ट इस और फाइनांस करें। अभी जो एग्जिस्टिंग बैंक्स हैं, हाउसिंग के लिए कोई लोन देने को तैयार नहीं होता है इसलिए हम चाहते हैं कि अर्बन हाउसिंग बैंक हो जाने से हमें इन चीजों के लिए दूसरे बैंकों में भटकना नहीं पड़ेगा। हमारे जो एचडी एफसी हैं वे तो बड़े लोगों के लिए कर्ज मुहैया कराते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा खुद का बैंक हो ताकि सभी लोगों को हम इससे फायदा दे सकें। मान्यवर, जो दो-तीन चीजों का यहां पर उल्लेख किया गया है उसमें जहां तक अर्बन ट्रांसपोर्ट का सवाल है इसके लिए भी कोई एन०सी०आर० में बल्कि हम चाहते हैं कि सारे हिन्दुस्तान में जितने हमारे शहर हैं इसके लिए भी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो माननीय सदस्यों ने बड़े-बड़े शहरों के लिए मोनो-रेल्ज़ के लिए भी यहां सुझाव रखे हैं। इसके लिए भी हमारा मंत्रालय ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री

[श्री दलबीर सिंह]

और कंपर्ड मिनिस्टरी से बराबर मीटिंग कर रहा है। हम चाहते हैं कि यह हमारी चीजें अर्बन एरिया के लिए और आने वाले समय में न केवल छोटे शहरों के लिए बल्कि महानगरों के लिए भी हो जो कि एक अहम सवाल बना हुआ है और इन सब सवालों को ध्यान में रखते हुए हमें यह सब तय करना है। कई सदस्यों ने यह भी कहा कि पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था हो, लोगों को रहने के लिए अच्छा मकान भी हो, वहां का वातावरण भी अच्छा मिले। तो इसके लिए बराबर शासन ध्यान दे रहा है और मान्यवर, जहां तक प्लानिंग का सवाल है कई माननीय सदस्यों ने किया, चाहे वह बड़े शहरों के लिए हो अथवा छोटे शहरों के लिए, बराबर प्लानिंग होती है और तीसरी पंचवर्षीय योजना और उसके पहले केन्द्र शासन भी राज्य-शासनों को निर्देश देती थी कि आप अपने टाऊन की प्लानिंग कीजिए। लेकिन आज यह कहा गया है स्टेट जो कि जो जहर हैं, उनकी बराबर प्लानिंग होनी चाहिए। हमारा जो कण्ट्री टाऊन प्लानिंग है, उसका भी सजेशन है और बराबर उसने भी यह सुझाव रखे हैं कि आगे आने वाले समय में हमें किस तरह से, चाहे वह छोटे शहर हों अथवा बड़े शहर हों, उनमें किस तरह से विकास हो।

मान्यवर, जहां तक जमीनों की कीमत का सवाल है। मैं मानता हूं कि लोग बाहर से आते है और यहां पर चाहे वह बिजनेस के लिए हो अथवा कल-कारखाने लगाने के लिए हो, जमीनों की कीमत बढ़ती है। अभी जो 1983 का देशो लग गया, टी० सी० री० ओ० ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें सबसे हाइएस्ट बम्बई शहर का पर स्कवायर मीटर लगभग 15 हजार रुपये आता है। इसी तरह हमारे बड़े-बड़े शहरों में कीमत काफी बढ़ी है। इसके लिए भी सुझाव रखा है और राज्य-शासनों को खासकर हम गाइडलाइन बराबर देते रहते हैं कि आप जमीनों की कीमत पर रोक लगाएं, जमीनों की कीमत ज्यादा न बढ़े और जो हमारी योजनाएं हैं, खासकर उनमें गरीबों के लिए हैं और हम उनको ज्यादा मुहैया कराते हैं। जैसे कि मैंने कह-हुडको द्वारा जो लोन ग्राण्ट करते हैं, उसमें 80 प्रतिशत गरीब तबके के लोगों को रखते हैं और जो भी योजना चाहे वह प्राइवेट सेक्टर का कोआपरेटिव सोसायटी हो अथवा पब्लिक अंडरटेकिंग की हो, पहले हमारा उससे एग्रीमेण्ट होता है कि आप अगर भवन-निर्माण कराएंगे तो उसमें से 80 फीसदी आवास आप गरीब लोगों को मुहैया कराएंगे। तो ये तमाम चीजें हैं।

मान्यवर, इसमें यह भी कहा गया कि डी० डी० ए० अथवा और भी जो संस्थान हों, वह जमीन तो एक्वायर कर लेता है, लेकिन समयबद्ध तरीके से वह काम नहीं कर पाता है। इस ओर भी शासन का ध्यान गया। ऐसा सन् 1962 और उसके पहले होता था। लेकिन इसी दृष्टिकोण को मद्देनजर रखकर इस कानून में बदलाव किया गया, अमेण्ड किया गया 1984 में और इसमें यह तय किया गया कि मकानों के लिए जितनी जमीन की आवश्यकता होगी, उतनी ही हम एक्वायर करेंगे और उसके लिए यह भी कहा गया कि इस जमीन की उपयोगिता, चाहे मकान बनाने के लिए हो अथवा दूसरे परपज के लिए हो, तीन साल के अंदर निर्माण हम कर लेंगे।

इस तरह से हमारी ये योजनाएं हैं। मान्यवर, मैं इतना ही कहूंगा और इसके पूर्व जो हमारे सीनियर कुलीग, जिन्होंने यह रेजोलूशन पेश किया माननीय कौशिक जी ने, उन्हें बताना चाहूंगा इसी से संबंधित एक ध्यानाकर्षक प्रस्ताव भी इस सम्मानीय सदन में आ चुका है। सम्मानीय सदस्यों ने जो सुझाव रखे हैं, उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, उसको भी बराबर शासन ध्यान में रखेगा और हमारा मंत्रालय इन पर ध्यान देगा। मैं तो चाहूंगा कि सम्मानीय कौशिक जी इस प्रस्ताव को वापस कर लेंगे। यही मेरी मंशा है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, यह सभी स्वीकार करते हैं कि हिन्दुस्तान गांव का देश है। सन् 1951 ईस्वीं में 86 प्रतिशत व्यक्ति गांव में रहता था और आज 75 प्रतिशत व्यक्ति गांव में रहता है। गांव से आदमी शहर की तरफ को भागता जाता है, गांव उजड़ रहे हैं, शहर आबाद हो रहे है क्यों शहर की तरफ आदमी भाग रहा है? क्योंकि शहरों में रोजगार है, शहरों में सुरक्षा है, शहरों में स्वास्थ्य की रक्षा है, शहरों में पानी की व्यवस्था है, शहरों में मनोरंजन की व्यवस्था है शहरों में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था है। क्या इनमें से कोई वस्तु ऐसी है जो कि गांवों में उपलब्ध है? इसीलिए गांव का आदमी शहर की ओर भागता है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि शहरों में स्लम्स बने है। उनमें सुधार की आवश्यकता है। जितने आदमी यहां बैठे हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि गांवों की हालत भी देखें। जो गरीब आदमी तालाब के किनारे रहता है वह इन स्लम्स से क्या बेहतर स्थिति में है। उनकी बहुत बुरी स्थिति है। उनक किसने परवाह की माननीय मंत्री जी कहते हैं, प्रस्ताव महोदय भी कहते हैं कि जमीन की कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। गरीब आदमियों को जमीनें देंगे, ऐसा भी माननीय मंत्री जी ने कहा। पौश कालोनीज दिल्ली में एक्वायर्ड जमीन पर किसने बनाई हैं? नेहरु प्लेस है भीकाजी कामा प्लेस भी है। जितनी कालोनियां दिल्ली में बन रही हैं, कौन बना रहा है? क्या आपने जमीनें एक्वायर नहीं की? क्या आपने जमीन एक्वायर करके लोगों को नहीं दी। मैं पसन्द करता अगर गरीब आदमियों को जमीन देते, लेकिन आप तो नीलाम करते हैं। नीलाम में कौन खरीदेगा? गरीब खरीद लेगा? नीलाम में केवल अमीर आदमी तस्कर और रिश्वतखोर खरीदेंगे। फिर कहां गरीब आदमी की सेवा हुई? मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आपने कहा कि 3 फीसदी जमीन का हम नीलाम करते हैं और लोकसभा की 87 वीं एस्टिमेट कमेटी की रिपोर्ट को उठा कर देखिए: उसमें यह बताया गया है कि 67 परसेंट जमीन को हम नीलाम करते हैं। कहां 67 फीसदी का एस्टीमेट कमेटी के सामने बयान दिया और कहां 3 फीसदी का आपने बयान दिया। जब 67 परसेंट नीलाम होगी तो कहां गरीबों को मिलेगी। आपने कहा कि हम डेवलपमेंट चार्जेज लगा कर देते हैं। बिलकुल ठीक है। सीवेज भी होगा, लाइट भी होगी, सड़कें भी बनेंगी, सभी चीजों का 210 से 240 रुपए मीटर होता है। किसान से आपने 5 रुपए मीटर ली उसमें 240 डेवलपमेंट चार्जेज लगाए तो 245 हो गए। आप प्लाट किसान को किस भाव पर देते हैं? क्या यह एक्सप्लाइटेशन नहीं है।

आपने कहा कि हम 15 फीसदी कामशियल एरिया में उन लोगों को देते है जिनकी जमीन ली है। फिर आपने कहा दिया कि हम वीकर सेक्शन को देत हैं। हम पसन्द करते हैं, आप वीकर सैक्शन को दें। आप कहते हैं जिन से जमीन ली 15 फीसदी उनको देते हैं। अगर उन्हें 15 फीसदी देते हैं तब भी समझ में आने वाली बात है। जिनको मकान बनाने के लिए प्लाट देते हैं क्या उनकी परसेंटेज निश्चित की है? मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमें समाजवादी व्यवस्था इस देश में लाने की आवश्यकता है। यह देश गरीबों का देश है, यह देश गांवों का देश है। गांवों में हमें सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया करनी चाहिए। वहां सड़कें नहीं, पीने के पानी का इंतजाम नहीं। हमारे भीमराज जी बैठे हैं, इनके प्रदेश में तालाब का पानी पीते है जानवर भी तालाब का पानी पीते हैं। शहरों के लिए करें, लेकिन गांव की स्थिति को भी देखें। क्या तालाब का पानी पीने लायक होता है? आपने कहा कि हमने 88 करोड़ रुपया इसके लिए रखा है, हम करेंग। ठीक है, करना चाहिए। आपने कहा कि हम किसानों की जमीन नहीं लत शहरों के विकास के लिए। जमीन है किसक पास? किसानों की जमीन नहीं लेते तो शहरों का विकास हो कैसे रहा है बगैर जमीन लिए? इस को भी आप बताने की कृपा करें। एग्रीकल्चरल लैंड ही तो ले रहे हैं। 114 गांवों की पूरी की पूरी

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

एग्रीकल्चरल लैंड दिल्ली के पेट में जा चुकी है। दो लाख किसान जमीन से उजाड़े जा चुके हैं और आप कहते हैं कि आप कृषि भूमि लेते नहीं। मुआवजा भी आप उन्हें ठीक नहीं देते तो मैं आप के द्वारा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि जिन की जमीन ली जायेगी उनको रोजगार दिया जायगा। रोजगार देने के लिय आप ने क्या कदम उठाया। जिन की जमीन ली है उन को मकान के लिये जमीन देने के लिये आप ने क्या किया है। कामर्शियल प्लाट्स में उन को दूकानें देने के लिये आप ने क्या किया है? सरकार ने उन की जमीन का पेमेंट उन को वक्त से मिले इस के लिये क्या किया है? नो प्राफिट नो लास बेसिस पर आप जमीन दें, मैं इस बात को स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन आप का मोटिव प्राफिट का हो जाय यह नाकाबिलेबर्दाशत है। यह बिलकुल अनुचित है। आप का मोटिव प्राफिट का नहीं होना चाहिए और जो जमीन आप ले लेते हैं उस पर लोगों ने अनाधिकार कब्जा कर लिया है। पूरी-पूरी कालोनियां बना ली हैं। आप ने उन को उस समय क्यों नहीं रोका। जब किसान की जमीन एक्वायर कर ली और एक खास मकसद के लिए उस को एक्वायर किया है तो फिर उस पर लोगों ने अनधिकार कब्जा कैसे कर लिया और फिर उस कालोनी को आप ने रेगुलराइज भी कर दिया। मंत्री जी यहां बैठे हैं। आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की जमीन पर लोगों ने नाजायज कब्जा किया हुआ है। राज्य सभा में क्वेश्चन था और जवाब आया कि उस को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस दिन पहली झोपड़ी वहां पड़ी थी उस दिन डी० डी० ए० और उस इंस्टीट्यूट के अधिकारियों ने उस को क्यों नहीं रोका? वे कहां चले गये थे? मैं कहना चाहता हूं कि जो जमीन एक्वायर की जाती है जिस मकसद के लिये एक्वायर की जाती है वह उस काम में ही आनी चाहिए और अनधिकार कब्जों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए और गांवों के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। यह एक मौलिक प्रश्न है। जब तक गांवों में आप सारी सुविधायें नहीं जुटायेंगे, रोजगार की व्यवस्था आप नहीं करेंगे उस समय तक गांव के लोगों का यहां आना नहीं रुकेगा और आप की जितनी समस्यायें हैं वह समस्यायें भी इस नहीं हो सकेंगी, बल्कि आप की परेशानी बढ़ती ही जायेगी।

एक अंतिम बात कह कर मैं समाप्त करता हूं। जो आदमी अमीर है उस के पास कितना ही काला धन क्यों न हो उस को आप एक भी प्लाट न दें। वह अमीर आदमी गरीबों से खुद ही जमीन खरीदे। आप का कोई प्लाट अमीर आदमी को नहीं जाना चाहिए। यह मेरा निवेदन है, यह मेरा सुझाव है कि गरीबों की जमीन अमीरों को नहीं जानी चाहिए। गरीबों को उन की जमीन का उचित मुआवजा मिलना चाहिए और गांवों का आप पूरा विकास करिये जिससे गांव का आदमी शहर की ओर न भागे और जिन आदमियों ने मकान बना लिये हैं ऐसी कोशिश कीजिए कि वे अपने मकान किराये पर न दें। वे अपने मकानों में जा कर रहें और आप के कम किराये वाले मकानों को खाली करें। ऐसा होने से समस्या का हल निकल सकता है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Still another two minutes left. I call the next speaker, Shri Jagatpal Singh.

**ठाकुर जगत पाल सिंह** (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय कौशिक जी द्वारा आया है मैं उस का समर्थन करता हूं और कुछ बुनियादी बातों की तरफ आप का ध्यान ले जाना चाहता हूं। हम ने अपनी प्लानिंग में सब से बुनियादी गलती यह की है कि अपने मुल्क में माइक्रो सर्वे नहीं किया। जब कोई देश विकास की ओर बढ़ता है तो यह बात सही है कि गांवों की जमीनें ली जाती हैं, क्योंकि मकान, स्कूल, अस्पताल, सड़कें तथा अन्य कार्यों के लिए जमीन चाहिए इसके अलावा जहां उद्योग लगेंगे वहां शहर बसेंगे। उसके लिए भी

जमीन लेनी पड़ेगी। लेकिन आज हमारे सामने सवाल यह पैदा हो रहा है कि जो गांव हैं उन में सुविधायें नहीं हैं इस लिये लोग शहरों में आ रहे हैं।

जमीन रबड़ तो नहीं है वह तो बढ़ नहीं सकती। पापुलेशन तेजी से बढ़ती जा रही है। अगर गांवों में उनके इंप्लायमेंट के लिए हम कोई दूसरे साधन वहां उपलब्ध नहीं करायेंगे तो उन्हें शहरो में ही आना पड़ेगा। (समय की घंटी) इसलिए यह जरूरी है कि ग्रामीण आंचलों में नये-नये रोजगार उपलब्ध करायें जायें और ग्रामीण क्षेत्रों की जो अवश्यकताएं हैं उन्हें भी पूरा करें। मेरी राय में खेती से संबंधित जो उद्योग हैं वे गांवों में ही लगें तथा उनकी रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुएं ग्रामीण क्षेत्र में ही बनें। केवल तभी गांव के लोगों का शहर में जाना रुक सकेगा।

आपने मुझे दो मिनट का समय दिया इस के लिये धन्यवाद।

---

**HALF-AN-HOUR DISCUSSION ON THE POINTS ARISING OUT OF THE ANSWER GIVEN IN THE RAJYA SABHA ON THE 12TH NOVEMBER, 1986 TO STARRED QUESTION 124, REGARDING ART OBJECTS FOR THE FESTIVAL OF INDIA**

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra): I am grateful to the Chairman for allowing us to discuss this vital question, which was discussed during the last two or three weeks. It is regarding sending of some priceless architectural objects abroad. At that time the Chair had desired that we should have a half-an-hour discussion so that the Members can raise pertinent points. Sir, I assure you I want to raise the level of this discussions. I am not interested to level personal criticisms against x, y or z. But I must say that I am agitated particularly over the manner in which the new blitz krieg on culture is being unleashed in this country during the last two years, and there has been a sudden upsurge in the cultural exposition of our monuments and priceless articles abroad. I am just trying to follow its logic. In this connection I would like to draw the attention of the hon. Minister to a discussion held in the Lok Sabha last year on 16-4-1985, when these objects were on their way to USA. The Minister of State in the Ministry of Personnel at that time had replied to the debate. I would like to peruse that debate and highlight what was found out in that debate. But before doing that I would like to say that the 'Festivals' whether they are held in USA, France, Japan or even in USSR, as it is being held there now, are meant to project the Indian culture and heritage of immanse importance. But what is the result? I am sorry to say it is a public relations exercise of projecting some images. I will go to that point later, but now I would point out that in the process, it seems, various articles from the Harappan period, Maurya period, Gupta period, Kushan period, Chola period etc. have been sent abroad. Here I would like to quote what the hon. Minister had stated in that debate. He said: "There is no question of sending some of our priceless things." This is what the Minister has stated in his reply to an hon. Member on that day. Then, Sir, suddenly the articles have already been despatched. So my point is: who was responsible for the despatch? The Minister has also mentioned in the discussion that there was some procedure in sending these articles. Some two weeks back the Minister himself said that there is a committee which consists of the Director of archaeology and other experts like Karl Khandelwala, Dr. Sunder Rajan, etc. We are really lucky and grateful to the late Prime Minister Mrs. Indira Gandhi.

Sir, even the rarest of the articles like "Pasu Pathi" and "Buddha" from Patna were on the way. Actually the Commissar of Indian Culture ordered that these should also be sent. She has given instructions to send these articles. But protests were made by various experts and these articles were stopped. That is why this country saved at least one or two rare articles.